माता चिन्तपूरणी मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी तहसील अम्ब, जिला ऊना
पिन-177118 के लेखाओं का लेखा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 1.4.2001 से 31.12.2002 तक

1. यह लेखा प्रतिवेदन :-

यह लेखा प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैराग्राफ की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है। अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र अनुपालन कार्य वाही करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए। अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति नीचे दी गई है :-

(क) लेखा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 12.5.97 से 31.12.98:-

पैरा	
3(ख)	अनिर्णीत
5	अनिर्णीत
6(2)	अनिर्णीत
6(3)	अनिर्णीत
6(4)	अनिर्णीत
6(5)	अनिर्णीत
7	अनिर्णीत
9	अनिर्णीत
10	अनिर्णीत
13	अनिर्णीत
14(क)	अनिर्णीत
14(ख)	अनिर्णीत
15	अनिर्णीत
16(क)	अनिर्णीत
17	अनिर्णीत
18(क)	अनिर्णीत
18(ख)	अनिर्णीत
19(क)	अनिर्णीत
20(क)(1)	अनिर्णीत
21	अनिर्णीत
22	अनिर्णीत
23	अनिर्णीत
24	अनिर्णीत
25	अनिर्णीत
27	अनिर्णीत
28	अनिर्णीत

पैरा	29(क)	अनिर्णीत
पैरा	29(ख)	अनिर्णीत
पैरा	30	अनिर्णीत
पैरा	31	अनिर्णीत
पैरा	32	प्रेक्षा: निर्णीत।यथा स्थिति जो प्रेक्षण पुस्तिका 1/2000 से 12/00 में लगाई गई थी ।
पैरा	33	अनिर्णीत
पैरा	34	अनिर्णीत
पैरा	35	अनिर्णीत
पैरा	37	अनिर्णीत
पैरा	38	अनिर्णीत
पैरा	39	अनिर्णीत
पैरा	40	अनिर्णीत
पैरा	41	अनिर्णीत
पैरा	42	अनिर्णीत
पैरा	43	अनिर्णीत
पैरा	44	अनिर्णीत
पैरा	45	अनिर्णीत
पैरा	46	अनिर्णीत
पैरा	47	अनिर्णीत
पैरा	48	अनिर्णीत
पैरा	49	अनिर्णीत
पैरा	52	अनिर्णीत
पैरा	53	अनिर्णीत
पैरा	54	अनिर्णीत
पैरा	55	अनिर्णीत
पैरा	56	अनिर्णीत
पैरा	57	अनिर्णीत
पैरा	58	अनिर्णीत
पैरा	59	अनिर्णीत

133

पैरा	60	अनिर्णीत
पैरा	61(क)	अनिर्णीत
पैरा	61(ख)	अनिर्णीत
पैरा	61(ग)	अनिर्णीत
पैरा	61(घ)	अनिर्णीत
पैरा	61(ङ)	अनिर्णीत
पैरा	61(च)	अनिर्णीत
पैरा	61(छ)	अनिर्णीत
पैरा	61(ज)	अनिर्णीत
पैरा	61(झ)	अनिर्णीत
पैरा	61(ञ)	अनिर्णीत
पैरा	61(ट)	अनिर्णीत
पैरा	62	अनिर्णीत
पैरा	63	अनिर्णीत
पैरा	64	अनिर्णीत
पैरा	65	अनिर्णीत
पैरा	66	अनिर्णीत
पैरा	67	अनिर्णीत
पैरा	68	अनिर्णीत
पैरा	69	निर्णीत। प्रीमियम प्रतिशोधन वर्ष 1999 में लागू नई स्थिति के अनुसार।
पैरा	70(1) से 71	अनिर्णीत
पैरा	70(2)	निर्णीत। प्रोपोजिट कन्सोर्ट्स की जांच की गई।
पैरा	70(3)	निर्णीत 16 के 90 96 की वसूली रु0 82593.00 रु. का सत्यापन ऑडिट में किया गया।
पैरा	70(10)(2)	अनिर्णीत
पैरा	71(क)(1) से 31	अनिर्णीत
पैरा	71(क)(3)	अनिर्णीत

..4..

पैरा 71(क)(5) अभिपुष्टि

पैरा 71(क)(6) अभिपुष्टि

पैरा 71(क)(7) टिप्पणी। एम.डी.21 पृ0 87 पर के पृ0 20@546.00 रु. की वसूली की गई।

पैरा 71(क)(8) टिप्पणी। अपेक्षित कार्यवाही की जाँच की गई।

पैरा 71(ख) से 4) अभिपुष्टि

पैरा 72 टिप्पणी अपेक्षित कार्यवाही वाराणसी 415 दिनांक 10/96 द्वारा की गई।

पैरा 73 अभिपुष्टि

पैरा 74 टिप्पणी।अपेक्षित कार्यवाही अब की जा रही है।

पैरा 75(क) टिप्पणी। रजिस्टर 4 के पृ0 17 व रजिस्टर 3 के पृ0 86 क्रमशः 5210-45 415 प्रतिशत डेपरेशन प्रदान का कुल 7755 कन्डक्टर व ईं 240 कन्डक्टर पृ0 82 पर दर्ज किया गया।

पैरा 75(ख)(1) टिप्पणी। रजिस्टर के पेज 12 पर अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन किया गया।

पैरा 75(ग) अभिपुष्टि

पैरा 75(घ)(1) अभिपुष्टि

पैरा 75(घ)(4) अभिपुष्टि

पैरा 76(1) टिप्पणी।अपेक्षित जाँच [illegible] में की गई।

पैरा 76(2) टिप्पणी। रजिस्टर पृ0 83 पर [illegible] 300 कार्ड पृष्ठ का सत्यापन किया गया।

पैरा 76(3) अभिपुष्टि

पैरा 76(4) अभिपुष्टि

पैरा 76(5) टिप्पणी। रजिस्टर 6.300.1/2। दिनांक 10.2.82 द्वारा 250.00 रु. की वसूली की गई।

..5..

1135

पैरा	76(6)	अनिर्णीत
पैरा	77	अनिर्णीत
पैरा	78	अनिर्णीत
पैरा	79(1)	निर्णीत। लम्बीरी स्वीकृति प्राक्कलन की जांच की गई। लाखार ब्लाक 1989 के अनुसार 35.56 कुंटल व अंडा 20.95 के व 6.60 के 688.00 रु0 की वसूली आर.सी. द्वारा की गई।
पैरा	79(2)	अनिर्णीत
पैरा	79(3)	अनिर्णीत
पैरा	79(4)	अनिर्णीत
पैरा	80	निर्णीत: प्रोजेक्ट कार्यकारी का यथायथ ब्लाक से किया गया।
पैरा	80(2)	अनिर्णीत
पैरा	80(3)	निर्णीत प्रोजेक्ट कार्यकारी की समीक्षा की गई।
पैरा	81	निर्णीत। 39 1882.00 रु0 की राशि का यथायथ ब्लाक से किया गया।
पैरा	82(1)	अनिर्णीत
पैरा	82(2)	अनिर्णीत
पैरा	82(3)	अनिर्णीत
पैरा	82(4)	निर्णीत।प्रोजेक्ट 500.00 रु. की वसूली आर.सी.2005/78 द्वारा 18.2.83 को की गई।
पैरा	82(5)	अनिर्णीत
पैरा	82(6)	अनिर्णीत
पैरा	83	अनिर्णीत
पैरा	84(2)	निर्णीत

..6..

पैरा	85(1)	अनिर्णीत
पैरा	85(2)	अनिर्णीत
पैरा	85(3)	अंशतः निर्णीत। रसीद सं.3806/7 V/ल दिनांक 10.2.03 द्वारा की गई। एमबी.2 पृ0 2 से 7 तक। पर अपेक्षित कार्यवाही शेष है।
पैरा	86	निर्णीत। सभी की जांच की गई व सुरेश कुमार की ही दो अधिक मात्राओं में कम थी।
पैरा	87	निर्णीत। एम.बी./पृ0 36 पर अपेक्षित अपेक्षित कार्यवाही की गई। कुल कार्य 640 एम² था। व 3098-640 एम² =2,94 एम लंबित है।
पैरा	88(1)	(2) अनिर्णीत
पैरा	88(3)	निर्णीत एस.आर.पृ0 1819 के अनुसार 2 लेन सीमेन्ट लेयर डाल देतु व पयोग किए गए।
पैरा	89	अनिर्णीत
पैरा	90	अनिर्णीत
पैरा	91	निर्णीत।अपेक्षित इन्द्राज का सत्यापन रजिस्टर में किया गया।
पैरा	92	अनिर्णीत
पैरा	93	अनिर्णीत
पैरा	94	निर्णीत।पेस की जांच की गई।
पैरा	95	अनिर्णीत
पैरा	96	अनिर्णीत
पैरा	97	अनिर्णीत
पैरा	98	निर्णीत।रसीद सं.3806/7 दिनांक 10.2.03 द्वारा 1393.00 रु. की वसूली की गई।
पैरा	99(अ)	अनिर्णीत
पैरा	99(ब)	निर्णीत।एम.बी.अ. 1000 अपेक्षित इन्द्राज किया गया।
पैरा	99(स)	अनिर्णीत

पैरा	99(ग)	अनिर्णीत
पैरा	99(घ)	अनिर्णीत
पैरा	99(ङ)	अनिर्णीत
पैरा	99(च)	अनिर्णीत
पैरा	99(छ)	अनिर्णीत
पैरा	99(ज)	अनिर्णीत
पैरा	99(झ)	अनिर्णीत
पैरा	99(ञ)	अनिर्णीत
पैरा	99(ट से थ)	अनिर्णीत
पैरा	100(अ)	निर्णीत। कैश स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई।
पैरा	106	निर्णीत
पैरा	107	अनिर्णीत
पैरा	108(अ)	अनिर्णीत
पैरा	108(ब)	निर्णीत। प्रस्ताव सं. 23 दिनांक 4.7.92 द्वारा 32000.00 रु. जमा किए गए थे।
पैरा	109	निर्णीत। अपेक्षित कार्यवाही की जांच की गई। 23100.00 रु. जमा किए गए।
पैरा	110	निर्णीत। परिशिष्ट 15 -सहपठित-
पैरा	111	निर्णीत। रसाल वर्ष 1999 से लंबित स्थगित से हल किया जा रहा है।
पैरा	113	निर्णीत। अब एसओजी लगाई गई है।
पैरा	114	निर्णीत। 500/रु. की रसीद का सत्यापन ऑडिट में किया गया।
पैरा	118	अनिर्णीत
पैरा	119	निर्णीत। अपेक्षित अनुपालन प्रस्ताव सं. 253 का सत्यापन ऑडिट में किया गया।
पैरा	120	निर्णीत। बाकी का हल पूर्व अवधि का था व स्पष्टीकरण अनुसार भुगतान देरी से हुआ।

पैरा	12	अनिर्णीत
पैरा	122	निर्णीत। अपेक्षित सत्यापन लेखा में किया गया।
पैरा	123	निर्णीत। अभिलेख की जांच कर कुंजत रकम का सत्यापन लेखा में किया गया।
पैरा	124(क)	अनिर्णीत
पैरा	125(ख)	अनिर्णीत
पैरा	126(ग)	अनिर्णीत
पैरा	127	अनिर्णीत
पैरा	130	अनिर्णीत लेखा अपूर्ण-विवरणिका
पैरा	131	अनिर्णीत

(ख) लेखा की निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.1999 से 31.12.99 तक :-

पैरा	5	निर्णीत
पैरा	10(क)	अनिर्णीत
पैरा	11	अशा निर्णीत इकाइयों की पुष्टि अभी अपेक्षित है।
पैरा	12	अनिर्णीत
पैरा	13	निर्णीत। अपेक्षित रजिस्टर की जांच लेखा ने की नहीं।
पैरा	14	अनिर्णीत
पैरा	15	अनिर्णीत
पैरा	17	अनिर्णीत
पैरा	18	अनिर्णीत
पैरा	19	निर्णीत। रु0 1537.00 की रसीद का सत्यापन लेखा ने किया।
पैरा	20	अनिर्णीत
पैरा	21	अनिर्णीत
पैरा	22(ख)	अनिर्णीत
पैरा	22(ग)	अनिर्णीत

पैरा	23	अभिषीत
पैरा	24	अभिषीत
पैरा	26	अभिषीत
पैरा	27(क)	अभिषीत
पैरा	28	अभिषीत
पैरा	29(क)	अभिषीत
पैरा	31	अभिषीत
पैरा	32	अभिषीत
पैरा	33(क)	अशुद्ध निर्णीत। 671.00 रु. भारे कार्यवाही अपेक्षित है।
पैरा	33(ग)	अभिषीत
पैरा	34(1)	अभिषीत
पैरा	34(2)	अभिषीत
पैरा	35	अभिषीत
पैरा	36	अभिषीत
पैरा	37	अभिषीत
पैरा	38	अभिषीत
पैरा	39	अभिषीत
पैरा	40	अभिषीत
पैरा	41	अभिषीत
पैरा	42	अभिषीत
पैरा	43	अभिषीत
पैरा	44	अभिषीत
पैरा	45	अभिषीत
पैरा	46(क)	अभिषीत
पैरा	46(ख)	अभिषीत
पैरा	46(ग)	अभिषीत
पैरा	47	अभिषीत
पैरा	48	अभिषीत
पैरा	49	अभिषीत
पैरा	50	अभिषीत
पैरा	51	अभिषीत
पैरा	52	अभिषीत
पैरा	53	अभिषीत
पैरा	54	अभिषीत
पैरा	55	अभिषीत
पैरा	56(क)	अभिषीत
पैरा	56(ख)	अभिषीत
पैरा	56(ग)	अभिषीत

..10....

140

पैरा	60	अनिर्णीत
पैरा	61(क)	अंशतः निर्णीत। ठेली की, ठेली मुद्दी, काबू, दावे पर कार्यवाही अपेक्षित है।
पैरा	61(ख)	निर्णीत। स्टाक को 46,88,96 रूपा कुल एण्टों पर जमा किया गया था।
पैरा	62	निर्णीत
पैरा	64(क)	निर्णीत। बकी का जिस 20 कि.ग्रा. प्रति 40/-रू. 4800.00 रूपा पर बाकी नहीं था अब अभिलिखित किया गया।
पैरा	64(ख)	निर्णीत अपेक्षित कार्यवाही की जांच अंकेक्षण में की गई।
पैरा	65(क)	अनिर्णीत
पैरा	65(ख)	अनिर्णीत
पैरा	65(ग)	अनिर्णीत
पैरा	65(घ)	अनिर्णीत
पैरा	65(ङ)	अनिर्णीत
पैरा	65(च)	अनिर्णीत
पैरा	65(छ)	अनिर्णीत
पैरा	65(ज)	अनिर्णीत
पैरा	65(झ)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण की निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2000 से 31.12.2000:-

पैरा	3	निर्णीत
पैरा	4	निर्णीत
पैरा	5(क)	निर्णीत
पैरा	5(ख)	निर्णीत। रोकड़ बही के पृ0 189 दिनांक 1.12.01 की अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न की गई।
पैरा	5(ग)	निर्णीत
पैरा	6	अनिर्णीत
पैरा	7	अनिर्णीत
पैरा	8	अनिर्णीत
पैरा	9	निर्णीत। रोकड़ बही के पृष्ठांकन दिनांक 2.3.01 की अपेक्षित कार्यवाही का सम्पादन अंकेक्षण में किया गया।
पैरा	10	अनिर्णीत
पैरा	11(क)	निर्णीत अपेक्षित कार्यवाही की जांच की गई
पैरा	11(ख)	निर्णीत। अपेक्षित स्टाकों का सत्यापन अंकेक्षण में किया गया।
पैरा	12	अनिर्णीत

पैरा	13	निर्णीत। अपेक्षित रजिस्टर का रख रखाव किया जा रहा है।
पैरा	14(क)	अनिर्णीत
पैरा	14(ख)	निर्णीत।रोकड़ बही पृ0 100 पर 3500.00 रु0 की राशि न्यास द्वारा प्राप्त की गई।
पैरा	15	अनिर्णीत
पैरा	16(क)	निर्णीत।सब राशि सम्बन्धित खिलाव में ही जमा की जा रही है।
पैरा	16(ख)	निर्णीत। रसीदार की जाँच अंकेक्षण में की गई।
पैरा	17	अनिर्णीत
पैरा	18	अनिर्णीत
पैरा	19	अनिर्णीत
पैरा	20(क)	अनिर्णीत
पैरा	20(ख)	निर्णीत । अपेक्षित अभिलेख का सत्यापन अंकेक्षण में किया गया।
पैरा	21(क)	निर्णीत
पैरा	21(ख)	अनिर्णीत
पैरा	21(ग)	अनिर्णीत
पैरा	22	अनिर्णीत
पैरा	23	निर्णीत। स्टाक प्रतिवेदन व जमा की जाँच की गई।
पैरा	24(क)	अनिर्णीत
पैरा	24(ख)	अनिर्णीत
पैरा	24(ग)	अनिर्णीत
पैरा	25	निर्णीत। स्टाक रजिस्टरों में इन्द्राज का सत्यापन अंकेक्षण में किया गया।
पैरा	26	अनिर्णीत
पैरा	27	अनिर्णीत
पैरा	28	निर्णीत

पैरा	29(क)	अनिर्णीत
पैरा	29(ख)	अनिर्णीत
पैरा	30	निर्णीत। एसीआर का सत्यापन ब्रैकेन में किया गया।
पैरा	31	निर्णीत। रसीद सं. 2982/28 दिनांक 17.11.02 द्वारा अपेक्षित वसूली की गई
पैरा	32	अनिर्णीत
पैरा	33	अनिर्णीत
पैरा	34	अनिर्णीत
पैरा	35	अनिर्णीत
पैरा	36	अनिर्णीत
पैरा	37	निर्णीत। आर.सं.2983/27 दिनांक 17.11.02 द्वारा 300.00 रु0 की वसूली का सत्यापन ब्रैकेन में किया गया।
पैरा	38	अनिर्णीत
पैरा	39	अनिर्णीत
पैरा	40	अनिर्णीत
पैरा	41	अनिर्णीत
पैरा	42(क)	अनिर्णीत
पैरा	42(ख)	निर्णीत-अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन ब्रैकेन में किया गया।
पैरा	43	अनिर्णीत
पैरा	44	अनिर्णीत
पैरा	45	अनिर्णीत
पैरा	46(क)	अनिर्णीत
पैरा	46(ख)	अनिर्णीत
पैरा	47	निर्णीत। अपेक्षित कार्य सम्पादन की-108 2562,2908,296,55,2540,2973 व 53 का सत्यापन ब्रैकेन में किया गया।
पैरा	48(क)	अनिर्णीत
पैरा	48(ख)	अनिर्णीत

पैरा	49(ग)	निर्णीत
पैरा	49(घ)	निर्णीत। अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन प्रैक्टस में किया गया।
पैरा	50(क)	अनिर्णीत
पैरा	50(ख)	अनिर्णीत
पैरा	51(क)	अनिर्णीत
पैरा	51(ख)	अनिर्णीत
पैरा	52	अनिर्णीत
पैरा	53	निर्णीत। अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन प्रैक्टस में किया गया।
पैरा	54	अनिर्णीत
पैरा	55	निर्णीत
पैरा	56	निर्णीत
पैरा	57(क)	अनिर्णीत
पैरा	57(ख)	निर्णीत
पैरा	57(ग)	निर्णीत
पैरा	58	निर्णीत। एमवी 29 के पृ0 20 पर अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन प्रैक्टस में किया गया।
पैरा	58(2)	निर्णीत। एम.वी.29 पृ0 32,24,25 से 29 पर सरकार की त्रुटी की गई।
पैरा	59(क)	निर्णीत। एम.वी.26 पी.20 पर अपेक्षित कार्यवाही की गई है।
पैरा	59(ग)	निर्णीत। पृ0 3422.03 रु. की वसूली सक्षम अथारिटी द्वारा से कर ली गई है।
पैरा	59(घ)	निर्णीत। वसूली तेपिदाकार की पुष्टि द्वारा से की गई।
पैरा	59(ङ)	निर्णीत। अपेक्षित कार्यवाही एम.वी.26 के पृ0 86 पर की गई।
पैरा	60	अनिर्णीत
पैरा	61(क)	अनिर्णीत
पैरा	61(ख)	अनिर्णीत

पैरा	61(ग)	अनिर्णीत
पैरा	62	अनिर्णीत
पैरा	63	अनिर्णीत
पैरा	64	अनिर्णीत
पैरा	65	निर्णीत। सरचार्ज 2 प्रतिशत की दर से कुल 2465.00 रु. संविदाकारों की प्रतिभूतियों से काट ली गई।
पैरा	66(क)	अनिर्णीत
पैरा	66(ख)	अनिर्णीत
पैरा	67	अनिर्णीत
पैरा	68	निर्णीत
पैरा	69(क)	अनिर्णीत
पैरा	69(ख,ग,घ,ङ,च,छ,ज)	अनिर्णीत

भाग-दो

2. **वर्तमान अंकेक्षण :-**

मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी जिला ऊना के लेखाओं अवधि 1.4.2001 से 31.12.2002 तक का अंकेक्षण सर्वश्री रोशन चन्द शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं संजीव कुमार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10.4.2003 से 30.4.2003 तक चिन्तपूर्णी में किया गया। विस्तृत जांच हेतु मास 7/2001, 10/2001, 4/01 व 7/02 के लेखाओं का चयन किया गया। अनुवर्ती पैरों में दिए गए अभिलेख के अलावा अन्य वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

3. **अंकेक्षण मूलक :-**

माता चिन्तपूर्णी मन्दिर न्यास के लेखों अवधि 1.4.01 से 31.12.02 का अंकेक्षण रु0 90200.00 रु0 आंका गया है। उक्त राशि को रेकॉर्डिंग के प्रपत्र द्वारा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, शिमला हि0प्र0, ब्लाक नं0 38, सर्वोदय कम्पलैक्स कुम्मटी शिमला-9 को मन्दिर न्यास अध्यक्ष से अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधिसूचना

संख्या: सिविल/ए. 1139/2003 दिनांक 17.4.2003 द्वारा शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :-

मातृ चिन्तपूर्णी मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी जिला ऊना की अवधि 1.1.2001 से 31.12.2002 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

	वर्ष 2001	2002
कुल शेष	87845102.91	94355203.56
आय	36715578.55	39829569.00
योग	12460682.46	134185772.35
व्यय/निवेश	90245477.91	432171 13.65
अन्तशेष	94355203.56	100268659.91

दिनांक 31.12.2002 तक अन्तिम शेष का विवरण :-

बैंक/नकद में जमा राशि	93142257.91
वाणिज्य पत्र में निवेश	9005540.00
हस्तक्षेप राशि	826025.00
योग=	100268659.91

अन्तर :- 100268659.91-100268773.91=22898.00

रु. 22898/-का की राशि के अन्तर के कारण रखरखाव करके एवं अनुपालना आगामी लेखों पर दिखाई जाए।

मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी के लेखों से सम्बन्धित से-रोकड़ बही व बाह्य ऋण के अवधि 31.12.2002 तक बैंक/नकद तथा वाणिज्य पत्रों में जमा राशि के अन्तर अन्तर के मिलान का विवरण लेखा समायोजन विवरणी के अनुलग्न "क" दर्शाया संलग्न है।

5. [illegible] दिनांक :-

[illegible]

दिनांक 31.12.2002 तक मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी की रोकड़ बही के अनुसार रु. 9[illegible].00 रु. की राशि विभिन्न बाह्य बैंकों में निवेशित की जाना कि अनुलग्न "ख" पर दर्शाया है।

6. सोना चान्दी :-

मन्दिर स्थित चिन्तपूर्णी के ऑडिट अवधि 31.12.03 तक सोना व चांदी रजिस्टर के अनुसार सोने का वजन 79 कि.ग्रा. 810 ग्रा. व चान्दी का भण्डार 25 क्विंटल 80 किलो 649 ग्राम व 177 मि.ग्रा. है जिसे कोषागार अन्य छिपा जगह में सुरक्षित रखा गया है सोने की मात्रा को ध्यान में रखते हुए मन्दिर प्रबन्धक को सुझाव दिया जाता है कि सोने का निवेश भारतीय गोल्ड बांड योजना के अन्तर्गत किया जाए ताकि सोने पर ब्याज लगभग 3 प्रतिशत की दर से 127353.70 रु. लगभग प्रतिवर्ष अर्जित किया जा सके।

5350 रुपये प्रति 10 ग्राम x 79.810 किलो ग्राम

4265390.00=3 प्रतिशत= 127353.70

सोने चांदी का विवरण प्रतिवेदन के अनुबन्ध "ब" में दिया गया है

(ख) सोना चान्दी :-

अवधि 1/2001 से 12/2002 तक के लेखित भागों में प्राप्त सोना चान्दी के स्टाक रजिस्टरों का ऑडिट करते समय पाया गया कि सोना तथा चांदी का आवक नहीं है। जिसका विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के अनुबन्ध "ग" व "घ" में लगाया गया है। इसका औचित्य ऑडिट को स्पष्ट किया जाए। स्टाक में आ गया जिस पर सोना व चान्दी की असली वजनिया बाजार मूल्य पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वसूल करके मन्दिर निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुशासन से सम्बन्ध जैसा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

..17..

५५१

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	KG. GRAM MG.	KG. GRAM MG.	KG. GRAM MG.	KG. GRAM MG.			
29.1.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	— — —	[illegible]		
2.4.02	[illegible]	[illegible]	— — —	— [illegible]	—	[illegible]	—
13.7.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	— — —	—	[illegible]	—
[illegible]							
3.1.02	[illegible]	[illegible]	— — —	[illegible]	—	[illegible]	—
12.6.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	— — —	—	[illegible]	—
25.7.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	— — —	—	[illegible]	—
3.9.02	[illegible]	[illegible]	— — —	[illegible]	—	[illegible]	—
5.9.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	— — —	—	[illegible]	—

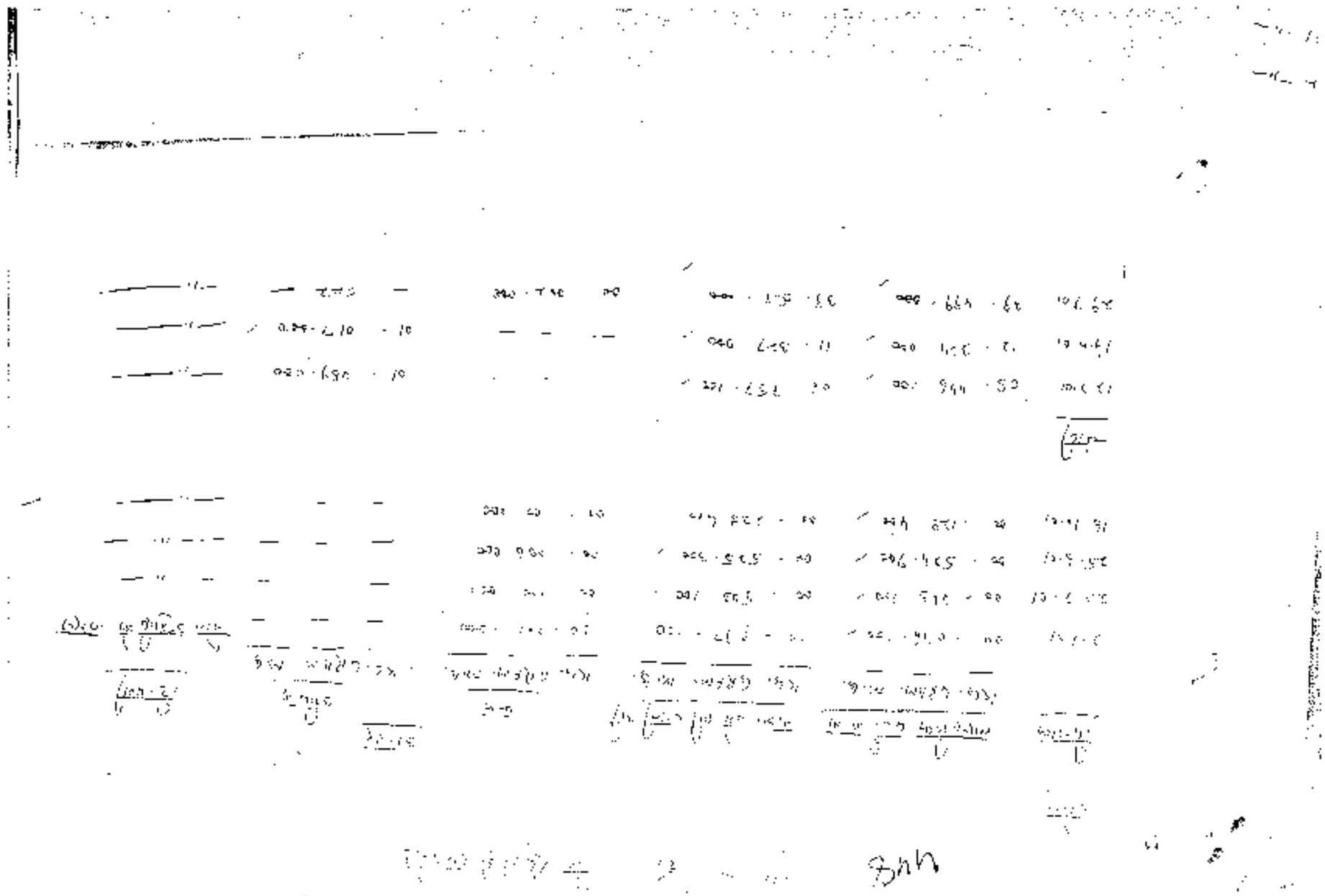

49 - 4494

पिछे सीनर पाहो उनेख पहाया रनिकरे की यधनिक मानो में और करने पर पाया गया कि पिण पितोंर की शीनर/पाहो का गाधार धोग गलत था। अतः परिणामतैरूप मुख्य स्टाक एक्सचेंज में हुई निम्न प्रकार्यों में का आपेक्षा रखा। तद: उपरिक्त विश्लेषण अब करके सुधारना के अधिक्रम और अवाज कराटाया लाए।ऊनन्त मार्गों के टास्कस्ट में अधे एवं गरवीय पहिचाव बुनियाद की जाए तथा बाकी चिह्न अंकड़ ठ्रे तो अगेंडी गर पाठ की जाए।

ग्रहण	मात्रा उत्तम अंतिम-पूर्व	मात्रा उत्तम भी हुए	गणना	मध्य पूर्व स्थान
	मध्य	मध्य	मध्य	मध्य
1510	1.7/0	460	31 · 320	00 · 130 – 0300
7018	11 · 160	200	01 · 394	440	00 · 402	000
1516	01 · 166	200	01 · 444	100	00 · 261	100
1501	01 · 166	200	01 · 166 – 440	00 · 0100 – 0000
7610	02 · 610 – 200	02 · 601 · 000	02 · 017 · 000
7620	00 · 010 – 200	00 · 025 · 100 –	10 · 000 · 000
7650	01 · 120 – 000	01 · 261 · 000	00 · 010 – 000
7620	00 · 015	00 · 011 · 100	10 · 002 · 200
7610	00 · 110 · 400	01 · 115 · 000	00 · 002 – 100
7660	00 · 110 · 400	01 · 115 · 000	00 · 002 – 100
7660	00 · 110 · 400	01 · 115 · 000	00 · 002 – 100
7660	00 · 110 · 400	01 · 115 · 000	00 · 002 – 100

450

7. **स्थापना के सम्बन्ध में :-**

(अ) अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि निम्न कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें अपूर्ण हैं। इनमें न ही 2000 का अर्जित अवकाश व परिवीक्षा अवधि का पूर्ण ब्योरा ही दिया गया और न ही व्यतीत की गई छुट्टियों को दर्ज किया गया था। उसके अतिरिक्त न तो सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा का सत्यापन किया गया। अतः आवश्यक सुधार अब किया जाए।

(1) श्री ज्ञान चन्द शर्मा, तृतीय सेवादार

(2) श्री भोजू राम शर्मा सेवादार.

श्री जीवन कुमार वरिष्ठ सेवादार अधिकारी :-

(1) श्री जीवन कुमार वह सेवादार अधिकारी जो मन्दिर अध्यक्ष के पद संख्या 25/सी.ए. डी.डी.आर. दिनांक 7.6.99 की 4020-6200 के वेतनमान में पदोन्नत किया गया। वित्त विभाग के एक संख्या फिन(पी.आर.)-1/98-II दिनांक 31.5.2001 के अनुसार कर्मचारी का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना अपेक्षित थे :-

6/99 का वेतन 4020.00 पदोन्नति तिथि

6/2000 -"- 4190.00

6/2001 -"- 4355.00

6/2002 -"- 4400.00

(2) मात 12/2002 में कर्मचारी का वेतन मन्दिर अधिकारी द्वारा अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया :-

6/99 को वेतन 4400.00

6/2000 -"- 4530.00

6/01 -"- 4705.00

6/02 -"- 4850.00

उपरोक्त के उन निर्धारण करने वाले अधिकारी का पद/आदेश अस्पष्ट रूप से नहीं दिए गए। अतः मन्दिर अध्यक्ष से अनुरोध है कि कर्मचारी वेतन का निर्धारण देवा 7(अ)(1) में उपरोक्त आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तथा अधिक वेतन अदायगी की वसूली उत्तरदायित्व कर्मचारी से करके तथा मन्दिर न्यास निधि में की जाए।

451

8. स्थापना के सम्बन्ध में :-

निम्न कर्मचारियों को मन्दिर आयुक्त के पत्रांक टीटीसी/140/2001, 141/2001 व 199-ए/सी दिनांक क्रमशः 26.4.01, 27.4.01 व 1.2.99 द्वारा तेवादार के पद पर 2520.00[प्रारम्भिक वेतन 2520.00] के वेतनमान में दिनांक 26.4.01, 27.4.01 व 9.10.01 से स्थाई तौर पर नियुक्त किया गया था। मन्दिर अधिनियम की धारा 3[2] के अनुसार कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति हेतु सरकार ही सक्षम है। अतः इन कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेशों को सरकार की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

1. श्री बीना देवी तेवादार विधवा श्री जगदीश राम
2. श्री रविन्द्र कुमार तेवादार पुत्र श्री गोरखू राम
3. श्री प्रेम चन्द तेवादार पुत्र श्री मोती राम.

निम्न कर्मचारियों की तेवा पुस्तिकायें ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी ऑडिट में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद
1.	श्री अमीर सिंह	तेवादार
2.	करतार सिंह	उप मुख्य तेवादार
3.	प्रभाकर चन्द	मुख्य तेवादार
4.	सुरिन्द्र कुमार	सफाई -"-
5.	प्रेम राम	तेवादार
6.	गोविन्द पाल	सफाई तेवादार
7.	श्री विजयपाल सिंह	तेवादार
8.	श्री जगदीश चन्द	-"-
9.	श्री रमेश सिंह	-"-

श्री विजय के सफाई तेवादार का त्रुटियों का जाता त्रुटिपूर्ण है। कर्मचारी की अंकित अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष ही दर्शाया गया है। अंकित त्रुटिसम्य अब किया जाए।

9. दान पात्र में प्राप्त 2000.00 रु. की राशि का सम्भावित दुरुपयोग:

दानपात्र रजिस्टर के पृष्ठ सख्या के ऑडिट के दौरान पाया गया कि दिनांक 28.4.02 की चढ़ाई गई गिनती उसमें 10x10.00

के 4929 वोट प्राप्त हुए है जिसका कुल मूल्य केवल 99290.00 रु. बनता है। किन्तु गलती से इसका मूल्य केवल 49290.00 रु. ही लिया गया जो कि 1000.00 रु. कम था जिसकी गलती रोकड़ बही में नहीं की गई है। इस तथ्य के प्रकाश में इस राशि का डिफाल्टीकरण किया गया है। अतः राशि की वसूली सम्बन्धित से की जाए व मन्दिर निधि में जमा की जाए। इसी प्रकार दिनांक 21.2.81 को रसीद रजिस्टर के पृ0 सं. 6929 पर 143652.00 रु. के स्थान पर 144652.00 रु. लिए गए अतः 1000.00 रु. कम लिए गए जिसकी वसूली भी दोषी से सीधा करके अनुपालना से इस विषय को सूचित किया जाए।

(ख) रसीद सं. 2933/65 दिनांक 21.7.02 को एक चोरी राशि 600 ग्राम व कुल राशि 987 ग्राम मान्दी में दर्शित नहीं किया गया जबकि यह बढ़ाया रजिस्टर के पृष्ठ 7786 में दर्ज भी है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। लेखापरीक्षा को मांगा जी की पूजा अर्थ नगर हेतु श्री अशोक कुमार को सौंपी गई है। मन्दिर अधिकारी से अनुरोध है कि उक्त वस्तु को स्टाक रजिस्टर में भी दर्ज किया जाए।

(ग) रसीद सं. 2931/65 दिनांक 16.7.02, दैनिक बढ़ावा रजिस्टर के पृ0 7778 पर एक दिवार का पैजा दर्ज था जिसे स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। अपेक्षित कार्यवाही अब की जाए।

(घ) स्टाक रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि ज्ञान में प्राप्त फीते के रेडियम पैजा, दिवार पैजा, छत का पैजा व बंदरवार पैजा को स्टाक रजिस्टर के एक ही पृ0 पर दर्ज किया गया। चूंकि यह मद/वस्तुएं क्रमशः 2- हैं। अतः इन्हें क्रमशः 2- पृ0 पर दर्ज किया जाना अपेक्षित है। अतः अपेक्षित कार्यवाही अब ही अमल में लाई जाए।

(ङ) स्टाक रजिस्टर के पृ0 सं 415 के अवलोकन पर पाया गया कि कुंवर पैजा की तुलाभार कन्द को दिया गया दर्शाया गया जिसे पारित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही अब अमल में लाई जाए।

10. प्रति परिणाम को मन्दिर विकास को का अनुचित नुकसान :-

मन्दिर न्यास के रिकार्डों की जांच करने पर पाया गया कि श्री रमेश चन्द पोद्दार एवं श्रीमति कन्तु दोनों ही मन्दिर न्यास

453

के नियमित कर्मचारी है और दोनों को ही मकान किराया की अदायगी की जा रही है जो कि सरकारी नियमों के अनुसार अनियमित अनियमित है क्योंकि मकान किराया एक स्थान पर प्रतिनियुक्त होने के कारण एक को ही देय है। अतः अनुचित रूप से भुगतान की गई राशि की वसूली कार्यालय स्तर पर की जाए व वसूली सीधे से की जाए।

14. नीचे दिए गए विवरणानुसार मन्दिर न्यास द्वारा कुछ सफाई कर्मचारियों के वेतन व भत्तों इत्यादि पर व्यय किया गया परन्तु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अभिलेख में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः अपेक्षित स्वीकृति अभिलेख में प्रस्तुत की जाए।

वाउचर सं.	मास	राशि	विवरण
388	7/01	3[illegible]500.00	कुछ सफाई की मन्दिर में तैनाती
488	7/01	31498.00	मासिक अक्टूबर 2001
789	10/01	31718.00	विशेष भत्ता हेतु
887	-"-	94270.00	भत्ता जिन्होंने में कानून व्यवस्था 15.10.01 से 27.10.01 तक बनाए रखने हेतु।
1924	1/01	32838.00	1.12.2000 से 31.12.2000 मास 12/000 का भत्ता प्रति 67.00 से मास.
2041	2/01	31210.00	कुछ सफाई का मास 1/2001 का वेतन।
158	3/01	29[illegible].00	वेतन कुछ सफाई व [illegible] मास 2/01 का 16 कुछ सफाई का वेतन।
2180	3/01	29910.00	
12	4/01	31775.00	वेतन मासिक भत्ता 100 कुछ सफाई का वेतन।
279	5/01	32340.00	मास 5/01 का 10 कुछ सफाई का वेतन।
505	6/01	32982.00	विशेष भत्ता हेतु।
653	9/01	31727.00	वेतन कुछ सफाई मास 8/01
1002	11/02	32677.00	-"- 9/01
1119	12/01	30898.00	-"- 11/01
1227	1/2002	32797.00	-"- 12/01
1328	2/02	29204.00	-"- 1/02
1935	3/02	27189.00	-"- 2/02
135	5/02	31298.00	-"- 4/02

248	5/02	44015.00	वेतन एवं रक्षा भाग 5/02
483	6/02	53152.00	-"- 7/02
516	-"-	437778.00	-"- 8/02 यात्रा भत्ता 64500 सहित [बिल आयी].
492	9/02	56134.00	वेतन भाग 8/02
618	10/02	35095.00	-"- 9/02
568	10/02	92081.00	-"- 10/02 व यात्रा भत्ता
557	11/02	54249.00	-"- -"-
609	12/02	55468.00	-"- 11/02
20	4/02	22795.00	विशेष सचिव मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी हेतु [मरम्मत ग्राम सं. 19 पर श्री पवन कुमार [illegible] को 13.3.02 को काम पर लगाया गया जबकि ग्राम सं. 17 व 18 श्री मेला राम व श्री सुमीत जिसने 15.3.02 से कार्य ग्रहण किया था। अतः काम में कार्य ग्रहण का नाम पहले क्यों लगाया गया].
349	—	32299.00	—
		91490.00	कुल सदस्यों का दैनिक भत्ता
		9578.00	-"- यात्रा भत्ता.

12. निम्न विवरणानुसार मन्दिर न्यास के कर्मचारियों की कार्य लाग के नियम 5[8] के अनुसार लीव एनकैशमेन्ट के रूप में भुगतान किया गया। लीव एनकैशमेन्ट का भुगतान मूल वेतन व महंगाई भत्ता का ही लिए जाने का प्रावधान है परन्तु न्यास द्वारा अन्य भत्तों को भी सम्मिलित कर भुगतान किया गया जोकि अनुचित है। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से ब्याज की दर से तथा सम्बन्धित कर्मचारियों की तेहर पुस्तिकाओं में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया और न ही भुगतान के समय में अवकाश को उसके व्यक्तिगत खाते में कम किया गया जो कि एक अनियमितता है। अतः मामला अध्यक्ष महोदय के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पद	लीव इनकैशमेंट की अवधि	कुल वेतन	पेंशनी भत्ता	[illegible]	देय राशि	भुगतान की गई राशि	अवशिष्ट भुगतान
	श्री देव राज	सेवादार	60 दिन	[illegible]	[illegible] (10%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	श्री चरन दास	कोल्ड स्टोरेज सेवादार	60 दिन	[illegible]	[illegible] (5%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	श्री [illegible]	चालक	45 दिन	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	श्री केवल सिंह	चालक	50 दिन	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	श्री [illegible]	चालक	30 दिन	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

14. मानदेय राशि का अनुचित भुगतान :-

श्री आर.सी.कटोच मन्दिर अधिकारी जो इस मन्दिर में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को प्रतिमास 2000.00 रु. का मानदेय राशि का भुगतान किया जा रहा है। प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी को नियमानुसार मानदेय राशि दिए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः भुगतान का नियमों के अन्तर्गत पूर्ण औचित्य किया जाए अन्यथा उक्त मानदेय राशि का भुगतान बन्द किया जाए तथा अनियमित तौर पर दिए गए भुगतान की वसूली की जाए।

15. विज्ञापनों पर 7064975/=0 का व्यर्थ व्यय :-

मन्दिर न्यास भारा चिन्तपूर्णी के अवधि 1/01 से 12/02 तक के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विज्ञापनों तथा प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना विभिन्न सरकारी/अर्ध सरकारी निजि संस्थाओं समितियों को ऐसी पत्रिकाओं/स्मारिका में ग्राम जनता/श्रद्धालुओं में कोई चलन नहीं है में विज्ञापन कराने भुगतान किया गया। इनका मन्दिर के गुणात्मक विकास से भी सम्बन्ध नहीं होने के कारण पूर्ण रूप व्यर्थ प्रतीत होता है क्योंकि चिन्तपूर्णी एक बहुत पुराना/ऐतिहासिक मन्दिर है जिसके प्रचार में विज्ञापनों का ग्राम व श्रद्धालुओं में प्रचलन नहीं होने के कारण व्यर्थ है। अतः भविष्य में ऐसे विज्ञापनों के लिए होने वाले व्यय पर नियन्त्रण किया जाए और मन्दिर न्यास हित में इस व्यय औचित्य स्पष्ट किया जाए।

वाउचर सं.	मास	राशि	संगठन/व्यक्ति का नाम भुगतान किया गया।
441	7/01	23250.00	हिन्द समाचार जालन्धर 10006825 दिनांक 29.
487	-"-	8000.00	बैल समाचार साप्ताहिक
775	10/01	5000.00	ए.सी.एम. विज्ञप्ति
846	-"-	9941.80	अजीत समाचार जालंधर दिनांक 5.9.2000
858	-"-	1000.00	दिव्य हिमाचल कांगड़ा दिनांक 9.10.01
874	-"-	8000.00	बैल साप्ताहिक विज्ञप्ति दिनांक 22.10.01.

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]

[illegible]

459

448	6/02	2000.00	अमीत समाचार जालन्धर बिल नं. 9322 दिनांक 12.8.02
449	8/02	7000.00	-"- बिल नं. 9323 दिनांक 12.8.02
450 -"	-"-	15000.00	गिरीश चन्द्रमोहन बिल नं. 890 दिनांक 2.7.02
455	9/02	10000.00	विभाग व्यापार पत्रिका धर्मशाला जिला ऊना बिल नं. 330, 5.8.02
457	-"-	2000.00	बीएम प्रकाशन हिन्दी पाक्षिक ऊना।
493	-"-	13500.00	विभाग लेखी धर्मशाला
508	-"-	5000.00	अमीत समाचार जालन्धर, बिल नं. 1994 दिनांक 14.9.02
709	11/02	10000.00	ग्राम पंचायत बिलासपुर-3.
710	-"-	5000.00	जिला विभाग प्रकाशन कांगड़ा
714	-"-	1000.00	अमीत समाचार जालन्धर बिल नं. 2951 दिनांक 5.10.02
730	-"-	10000.00	पंचायत ग्राम बिलासपुर जिला कांगड़ा द्वारा पाक्षिक समाचार पत्र बिल नं. 189 दिनांक 31.10.02
731	-"-	10000.00	ट्रांसपोर्ट वेलफेयर आर्गेनाइजेशन समिति जैसोर बिल नं. 000001 दिनांक 29.10.02
791	12/02	10000.00	सिंचाई विभाग कोटी धर्मशाला बिल नं. 0002 दिनांक 14.11.02
857	-"-	5875.00	हिन्दी दैनिक जालन्धर
858	-"-	10000.00	जिलाधीश हमीरपुर।
		106475.00	

16.

	बाउचर नं.	माह	राशि
1.	523	5/2001	433.00
2.	171	5/2002	250.00

उपरोक्त बाउचर (1) व (2) कार्यालय मेला ड्यूटी के तैनात कर्मचारियों को दौरा निर्माण विभाग कंडाघाट के रेस्ट हाउस

460

में उठाने के विचार के रूप में भुगतान किया गया। मन्दिर अधिनियम के अनुसार लगत व्यय मन्दिर पर वर्जित प्रभार नहीं है। इस प्रकार यह एक अनियम है। मन्दिर न्यास के पास अपना यात्री भवन अपने निजस्व है। यहाँ पर मेला छुट्टी पर को आवश्यकों को न ठहराने का औचित्य विभाग को स्पष्ट किया जाय।

17. वाउचर संख्या 313 मास 8/01 द्वारा 19243.00 रु0 का व्यय कार्यालय उपयोग हेतु विभिन्न फुटकर सामग्री क्रय की गई। क्रय से पूर्व वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया। क्रय के अतिरिक्त उक्त फुटकर सामग्री को स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया और न ही इसकी लगत वाले बीजक अभिलेख विभाग को प्रस्तुत किया गया। मन्दिर अधिकारी से अनुरोध है कि क्रय की गई समस्त मदों की क्रमशः पृष्ठ पर दर्ज एवं लगत सम्बन्धी अभिलेख आगामी विभाग में प्रस्तुत किया जाय।

वस्तु का विवरण	राशि
विभिन्न फुटकर सामग्री	3105.00
-"-	2095.00
-"-	1229.00
-"-	12161.00
-"-	199.50
	19013.50

18 (क) वाउचर संख्या 216 मास 9/2001 द्वारा 1136.00 रु. मास 6/07/2001 का वेतन का भुगतान किया गया परन्तु उपरोक्त वाउचर उपायुक्त अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था और बिना पारित वाउचर का भुगतान वैधानिक प्रतीत होता है। अतः अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जाय अन्यथा राशि की वसूली सम्बन्धित से शीघ्र की जाय।

(ख) श्री सुरेन्द्र कुमार चालक विभाग अवधि 1/2001 से 12/2002 तक के दौरान उप जिलाधिकारी(ना0)/ग्राम के कार्यालय में कार्यरत रहे हैं और अवकाश के वेतन का प्रतिमाह मन्दिर न्यास से आहरण हो रहा है। अतः चालक का वेतन न्यास पर वर्जित प्रभार नहीं है। अतः चालक मन्दिर की सेवाओं हेतु वर्जित कराया जाय अन्यथा प्रति अधिकारी/कार्य चालक की सेवाओं का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

19. माननीय न्यायालय विभिन्न पीठों के विभिन्न अवधि 1/2001 से 12/2002 के पश्चात आदेशों के विभिन्न करने पर पाया गया कि श्री नरेश कुमार, प्रबन्धक वित्त कमिश्नर ने श्री केवी नॉन्स कालिया ग्रुप पहुंचाने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया। नियुक्तियों से सम्बन्धित स्वीकृति विभाग से प्रस्तुत नहीं की गई। अतः सम्बन्धित स्वीकृति आगामी विभाग से कार्यवाही प्रस्तुत की जाए।

वाउचर सं.	माह	भुगतान की गई राशि
369	7/01	6500.00
765	10/01	6500.00
1429	4/02	6500.00
956	7/02	3000.00
457	7/02	3500.00

20. अनावश्यक व्यय :-

निम्न प्रकरणों में व्यय का भुगतान किया गया परन्तु विभाग अवधि तक उक्त वस्तुओं का उपयोग नहीं किया गया और न ही इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख ही प्रस्तुत किया गया जिससे यह प्रतीत हो सके कि उनका उपयोग कर लिया गया। अतः अनियमित कार्यवाही अब की जाए।

वाउचर सं.	माह	राशि
1918	1/2001	18000.00
11	4/01	5000.00
1874	11/01	6120.00
804	10/01	25000.00
		65120.00

21. वाउचर संख्या 210(डी) माह 3/01 धनराशि 4130.00 रु० का भुगतान लोक पार्टी इन्टरनेशनल कोचिंग कार्य नई दिल्ली के अन्तर्गत रु. 101,250 व 301 दिनांक 10.1.01 व 20.1.01 को खरीदे के रूप में एम रेन्ट के रूप में की गई। यह व्यय इन्स्टीट्यूट की कोचिंग हेतु की गई थाना के उपयोग में था। जिस की ओर से पाया गया कि उक्त जिस टीचिंग

मै0 व टी.एस.टी.मन्डल रहित था जिससे कि वैधानिक प्रतीत होता है। अतः कि जिला मै0 व टी.एस.टी.मै. होने और औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त ऋण की पूर्ति होने/करने/ निधि में उचित स्रोत से की जाए। अब कि यह कम्पोनेन्ट की स्वीकृत अतिरिक्त आवश्यकता विभाग के तथ्य छिपाई जाए।

20. **कुआरी बैग :-**

ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि मन्डल के पहाड़े की राशि में से प्रत्येक वर्ष अंशदारों/हिस्सेदारों को उनके हिस्से के रूप में लाखों रुपये की राशि का भुगतान होता है परन्तु न तो प्रत्येक अंशदार/हिस्सेदार को भुगतान की गई राशि का हिसाब व्यक्तिगत रूप से रखा जाता है और न ही उनसे आयकर की कोई कटौती की जाती है। अतः प्रत्येक हिस्सेदार को कि यह भुगतान का व्यक्तिगत रूप से खाता तैयार करके प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त की गई कुल राशि पर आयकर नियमों के अनुसार आयकर का निर्धारण कराकर कार्यालय अंशदान में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. **पुआरियों/अंशदारों का विवरण :-**

ऑडिट अवधि 1.1.2000 से 31.12.02 तक कुल 4170[illegible]/- रु. का पुआरियों/अंशदारों को निम्न ब्यौरे अनुसार और उनके हिस्से के रूप में निर्धारित किए गए भिन्न राशि के भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक के प्रमाण नहीं दी गई।

2809	1/2001	5209[illegible]4.00
73	4/01	1500000.00
198	-^-	3416266.00
411	7/01	9[illegible]942.00
603	10/01	6[illegible]1.00
1054	1/02	5233704.00
304	7/02	5[illegible]65.00
636	10/02	5[illegible]75.00
	योग	4170[illegible]7.00

24. वित्ताधीन एवं लेखा(शाखा) की अध्यक्षता में दिनांक 10.9.87 की बैठक में पुजारियों/बारीदारों का आय में से प्रारम्भिक खर्च बैठे पूजा अर्चना मन्दिर को जारी रखने के लिए आवश्यक व्यय मरम्मत हेतु तैयार एवं तैयार पर व्यय आदि निकालकर केवल नगद बचत का 50 प्रतिशत भाग मन्दिर पुजारियों/बारीदारों को दिया जाना था परन्तु मन्दिर प्रशासन द्वारा पुजारियों/बारीदारों को धनराशियों की आय से प्रारम्भिक खर्चों की कटौती न करके ही की जा रही है। जिस बारे अनेक आपत्तियां लगातार की गई। अतः मामला अध्यक्ष मन्दिर न्यास के ध्यान में विशेष रूप से इस विषय में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि सरकारी अनुदेशों का अक्षरशः पालन हो तथा मन्दिर पुजारियों तथा बारीदारों को होने वाले अधिक नुकसान से बचा जा सके।

25. (अ) किसी के बिलों में अनियमितताएं :-

वाउचर संख्या 845 मास 10/01 द्वारा 33164.00 रु. किसी के बिलों का भुगतान हेतु किया गया। जांच में पाया गया कि मै.सी.पी.-1325/सी होलसेल रोड़ सोनीपत से क्रय है का (9) यूनिट के 202.00 रु. मैसर्स रेनर 8.00 रु. व 5260.00 रु. सरचार्ज कुल 5330.00 रु. का मा. की सम्मिलित पर, तथा सरचार्ज के 5260.00 रु. का भुगतान विधि पर सरचार्ज लगाकर नहीं पर किसी बहुत सोचे से सम्बन्ध ही बाद।

(ब) मैसर्स ए.के.सी./1041/सी का बिल 215.00 रु. का था जिसे 215.00 रु. जोड़ा गया। अतः कु0 10/-रु0 की कटौती भुगतान से की जाय।

(स) किसी के बिलों निम्न मदों के अनुसार विक्रय0 राज्य विभाग मदों की जा किया गया। मन्दिर न्यास द्वारा किसी के बिल रजिस्टर की नहीं जाया गया है। मन्दिर प्रशासन से अनुरोध है कि किसी का रजिस्टर तैयार किया जाय।

वाउचर सं.	मास	राशि
845	10/2001	33164.00
848	-"-	9177.00

..34..

469

[illegible] वाउचर संख्या 2211 मास 3/01 सी.पी. 1752/सी का बिजली बिल के 3852.00 रु. का भुगतान किया गया परन्तु भुगतान के समर्थन में प्राप्त रसीद ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। अपेक्षित रसीद आगामी ऑडिट में प्रस्तुत की जाए।

26. दूरभाष बिलों का अनियमित भुगतान :-

मॉनिटर स्थापित विभागों के ऑडिट अवधि 1.4.2001 से 31.12.02 के ऑडिट के दौरान पाया गया कि टेलीफोन का रजिस्टर नहीं रखा गया था। साथ अधिकारी द्वारा यह भी प्रमाणित नहीं किया गया था कि फोन सी काले सरकारी थी। फोन नं.2554 18 वाली मान अवधि का बिल अपेक्षित प्रमाणित है क्योंकि उक्त फोन पर कोई भी अधिकारी नहीं होता अपितु इसका मात्र दुरुपयोग होता है। अतः दूरभाष विभाग से फोन विवरण प्राप्त कर निजी/सरकारी कामों का विवरण तैयार किया जाए और यदि कोई निजी हो तो अपेक्षित वसूली की जाए।

वाउचर सं.	मास	राशि	फोन नं.	विवरण
198	10/01	3988.00	2558 18	कार्यालय
2978	2/01	2111.00	2554 18	घरेलू मान अवधि
2834	3/01	3071.00	2558 18	कार्यालय
		1972.00	2554 19	घरेलू मान
2978	8/01	4035.00	2558 18	कार्यालय
		2067.00	—"—438	घरेलू मान
340	9/01	2391.00	—"—	—"—
		2997.00	—"—8 18	कार्यालय
1390	12/01	3254.00	—"—	—"—
		1756.00	—"—418	घरेलू मान
1383	2/02	1378.00	—"—	—"—
		3315.00	—"—8 18	कार्यालय
329	9/02	2930.00	—"—	—"—
		1301.00	—"—418	घरेलू मान
840	10/02	4256.00	—"—8 18	कार्यालय
		2 033.00	—"—418	घरेलू मान
872	12/02	4001.00	—"—8 18	कार्यालय

(छ) वाउचर संख्या 279 मास 6/01 द्वारा 4523.00 रु. का भुगतान चेक नं. 255086 व 255239 का क्रमशः 3096.00 व 1527.00 रु. का बिल की अदायगी के रूप में किया गया जबकि ये बिल/चेक मौजूद के नहीं है। अतः कुल 4623.00 रु0 का व्यय रेकार्ड पर उचित प्रमाण नहीं है जिसकी अनुपस्थिति सम्भावना से इंकार की जाए।

(ज) जिस विवरणानुसार टैलीफोन बिलों का भुगतान वरचार्ज सहित किया गया। समय पर यदि बिल की अदायगी की गई होती तो वरचार्ज की अदायगी नहीं करनी पड़ती। अतः वरचार्ज के भुगतान बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुपस्थिति दोषी ठहराई जाए।

वाउचर सं.	मास	देय तिथि तक भुगतान योग्य	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान
293	6/02	1057.00	1107.00	50.00
898	12/02	1930.00	1979.00	49.00
			योग:	99.00

(झ) वाउचर संख्या 433 मास 7/02 द्वारा 35000.00 रु. का भुगतान डी.एस.एम.एस. खरीदने की मासिक अदायगी के दौरान 7 अक्टूबर कनेक्शन के हेतु 5000.00 रु. प्रति कनेक्शन दरों से 35000.00 रु. की प्रतिभूति के रूप में जमा की गई जिसे रेकार्ड आदि पर दर्शाया नहीं लिया गया। अतः अपेक्षित कार्यवाही अब की जाए।

(ट) वाउचर संख्या 434 मास 7/01 में 30,000.00 रु. का भुगतान कार्यालय मुख्य वैधर जिलाध्यक्ष हमीरपुर को 6 अक्टूबर फोन 21.7.01 से 21.7.01 तक के हेतु 5000.00 रु. प्रति कनेक्शन की दर से 30000/- रु. की प्रतिभूति जमा की गई परन्तु इस प्रतिभूति को रेकार्ड आदि पर दर्शाया नहीं लिया गया। अपेक्षित कार्यवाही अब की जाए।

37.

वाउचर सं.	मास	राशि
L. 270	10/02	2420.00
P. 271	-"-	2500.00

वाउचर संख्या (1) व (2) द्वारा कुल भुगतानों के दौरान सफाई कर्मचारी की भेजा के लिए कुल रेटाफ्रेम आकार पर रखा गया, के लिए व्यय किया गया परन्तु आपूर्ति/सहायक प्राप्ति की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई। अपेक्षित कार्यवाही अब की जाए।

28. वाउचर संख्या 1037 मास 11/01 द्वारा 28000.00 रु. का भुगतान मुख्य आर्किटेक्ट मैसर्स कन्सोर्टियम को चेक सं. 863284 द्वारा 10 प्रतिशत टेण्डर ग्रान्टेन्ट कन्ट्रक्शन आफ थिम तालाब मन्दिर कम्पलेक्स पिण्डतारिणी हेतु किया गया। थिम तालाब मन्दिर परिसर मन्दिर न्यास की भूमि नहीं है क्योंकि उक्त भूमि पर कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का है और विवाद के कारण इस कार्य को निर्माणित नहीं कराया जा सका। अतः थिम तालाब मन्दिर परिसर के टेण्डर आमन्त्रण तैयार कराना राशि प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार इस कार्य पर हुए 10000.00 रु. की वसूली दोषी कर्मचारी से की जाए।

29. झाड़ी छिलाई पर होने पर रु0 29650.00 रु. का व्यय व्यर्थ:-

मेसर्स पिण्डतारिणी मन्दिर न्यास द्वारा जिला प्रशासन के सौजन्य थिम प्रखण्ड में छिलाई पर होने हेतु कार्य किया गया। जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास के पास तीन गाड़ियां उपलब्ध थीं। अतः झाड़ी छिलाई पर होने हुए व्यय का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किया गया जो कि अनुचित प्रक्रिया है। अतः झाड़ी छिलाई पर होने का औचित्य जिला को दिया जाए व भविष्य में सरकारी राशियों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

वाउचर सं.	मास	राशि	विवरण
1157	2/02	3225.00	पिण्डतारिणी से कुसुम ।
184	5/02	1250.00	—"— बाबा बालक नाथ
384	9/02	6000.00	—"— लाटाकोटी,बराल
510	—"—	3100.00	—"— थिमेल
349	—"—	2800.00	लोगों के दौरान इस्तेमाल की गई।
396	10/02	1100.00	पिण्डतारिणी से बालम्पा
524	—"—	3300.00	बालम जंगली भेड़ के दौरान पुलिस के उपयोग हेतु 6 किट प्रति किट 550.00 रु.
587	11/02	400.00	पिण्डतारिणी से बालम्पा
427	7/02	3300.00	—"— बिजली पानी
510	8/01	2500.00	थिमेल से जमा पुनर्भुगतान हेतु।
761	9/01	2000.00	जमा से थिमेल —"—

467

(छ) वाउचर संख्या 476 माह 9/2002 द्वारा मु0 4500.00 रु. का व्यय मेलों के दौरान जिला से पुस्तिका वायरलेस सेट लाने हेतु श्री सुरेश कुमार डिप्टी ने. एस.पी. 10-2003 अनिल स्टोर मारुति ट्रेडर्स जीपी जिला-2 को किया गया। बीच में बताया गया कि 3400.00 रु0 का व्यय पेट्रोल इत्यादि पर किया गया। इस प्रकार इस कार्य पर 7900.00 रु. की धनराशि व्यय की गई। वाहन किराये पर लेने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। ऑडिट का चित्र पेट्रोल पंप का नहीं था क्योंकि चित्र कच्चा था। जिस अधिकारी द्वारा गाड़ी का इस्तेमाल किया के हस्ताक्षर भी अभिलेख में नहीं थे। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अब भी बाद व ऑडिट के समय चित्र होने बारे स्थिति स्पष्ट नहीं। उपरोक्त किया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है जिसकी जाँच जनहीन अवाकार इस मामले में अनुवर्ती कार्यवाही नियमानुसार अपने में लाई जाए।

30.

वाउचर सं.	माह	राशि
(1) 433	7/01	40000.00
(2) 851	10/01	15000.00
(3) 2844	3/01	100000.00
(4) 488	8/02	500000.00

वाउचर संख्या (1) से (4) द्वारा बकाया मेरीकल एवं जनरल एजेन्सी जबा ने मेलों के दौरान कार्डों की खरीद हेतु भुगतान किया गया। क्रय की गई कार्डों को क्रय के अनुसार लाइसेन्स-धारक खाद्य केन्द्र निरीक्षकों को जारी किया गया। सम्बन्ध अधिकारी से अनुरोध है कि कार्डों का स्टाक रजिस्टर एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख आगामी ऑडिट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

31.

वाउचर संख्या	माह	राशि
117	4/01	150000.00
534	6/01	500000.00

उपरोक्त वाउचरों द्वारा उप जनसम्पर्क अधिकारी (नागरिक) अम्बा जिला अम्बा के सरकारी आवास की मुरम्मत हेतु राशि का भुगतान किया गया परन्तु सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्राप्त राशि के

Y68

चिन्ह कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा को प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस विभाग द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है अथवा नहीं। अतः मन्दिर अनुभाग मन्दिर विभागों से अनुरोध है कि वे सम्बन्धित कार्यालय से उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी लेखा में निर्गत या विकास खण्ड सम्बन्धित के राशि धारित लेखा को मन्दिर निधि में जमा किया जाए।

अभिलेख की जांच में पाया गया कि ट्रस्ट की लेखा में 58000.00 रु. जो का ही जमा धारित हुआ था परन्तु मन्दिर ने अपने स्तर पर ही 50000.00 और उपलब्ध किए। अतः अतिरिक्त राशि उपलब्ध किए जाने का औचित्य लेखा को स्पष्ट किया जाए।

32. वर्ष अनुदान/वित्तीय सहायता मद पर कुल 35970.00 रु. का व्यय हुआ :-

अवधि 1/2001 से 12/2002 तक का लेखा करने पर पाया गया कि डी.आई.जी. कार्यालय जहां को निम्न सहायता प्रदान करने हेतु अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान की गई जो कि न तो अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप थी और न ही मन्दिर के विकास के लिए कोई उपयोग था।

वस्तु का नाम	मात्रा	राशि
[illegible]	3 नग	34500.00
1/4 [illegible]	-"-	1470.00
	योग:	35970.00

उक्त विवरित अनियमित वित्तीय सहायता की राशि का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए उपयोग प्रमाण पत्र लेखा को प्रस्तुत किया जाए अन्यथा से आगामी लेखा को प्रस्तुत किया जाए।

वर्ष सत्र 01-2002 मद 2/31 राशि 300000.00 रु. का अनुदान अनुदान आवश्यकता राज्य लेखा हेतु किया गया। मन्दिर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। अतः अनुदान दिए जाने का औचित्य लेखा को प्रस्तुत किया जाए अन्यथा आगामी लेखा में प्रस्तुत की जाए।

33. वाउचर संख्या 425 मास 7/2001 राशि 700.00 रु. :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा 700.00 रु0 का भुगतान श्री रोशन लाल भिखारी को आसपास पर गिरे हुए पेड़ को काटने एवं पेड़ की लकड़ी को पेड़ के मालिक की देख रेख में घर तक पहुंचाने के खर्च के भुगतान किया गया। भौतिक दृष्टि से कार्य के सम्बन्ध में मस्टरोल आदि का निर्माण नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि श्री भिखारी के कितने दिन कार्य पर लगे। इस कारण इस व्यय की जांच नहीं की जा सकी। अतः अंकेक्षित भुगतान आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध की जाय।

34. वाउचर संख्या 431 मास 7/2001 द्वारा 82500.00 रु. का भुगतान मनोहर कन्टराक्टर फतेहाबाद को उनके बिल नं. 163 दिनांक 17.1.01 को 3 अदद 25" टी.टी.वी. 27500.00 रु. प्रति हैण्डपम्प क्रय करने हेतु किया गया। क्रय किए गए हैण्डपम्पों को धा.वी.27 के पृष्ठ 11 स्टाक रजिस्टर पृष्ठ 141 पर दर्ज किया गया जिनके बाजार के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया गया। क्रय के पूर्व वित्तीय औचित्यपरिमार्ग में कोटेशन आमन्त्रित नहीं की गई और क्रय के पूर्व न ही उपलब्ध अंकेक्षण व्यास द्वारा किए गए। अंकेक्षण से ज्ञात हुआ कि इस अवधि में हैण्डपम्प की योजना थी परन्तु प्राप्त हैण्डपम्प की वस्तु का उल्लेख नहीं किया गया। अतः कोटेशन आमन्त्रित न करने का औचित्य विभाग को स्पष्ट किया जाय तथा प्राप्त हैण्डपम्प की वस्तु का/उल्लेख करने विभाग को अवगत कराया जाय।

35. (क) वाउचर सं. मास राशि

293	8/01	32900.00
1063	11/01	24970.00
332	7/01	25775.00
661	11/01	24850.00
	योग:	108495.00

उपरोक्त वाउचरों द्वारा रु0 108495.00 रु0 का व्यय वर्ष 2001 व 2002 के दौरान अन्य मरम्मत व रखरखाव

अन्य दो मेलों के दौरान अतिरिक्त कार्य करने हेतु अन्य कर्मचारियों को लिया गया। उक्त व्यय मन्दिर निधि पर उचित प्रतीत नहीं है। क्योंकि रोशनी/मेला प्रबन्धन का प्रावधान अधिनियम में नहीं है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मेला आपत्तियाँ लगाई गई परन्तु अनुचित व्यय मानते कार्यवाही नहीं की गई प्रतीत होती है। अतः मामला अन्य अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

(ख) मानदेय राशि के रूप में अनुचित व्यय :-

मन्दिर न्यास के अधिनियमानुसार नियमानुसार प्रतिमाह मानदेय राशि का भुगतान किया जा रहा है। वास्तविक सचिव मन्दिर न्यास के स्थान पर अन्य कार्यालयों में कार्यरत है। अतः उक्त व्यय अधिनियम के अनुसार अनुचित है। इस के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि पुस्त नियम 12 के अनुसार इस राशि का 1/3 भाग सरकारी कोष में जमा नहीं कराया गया। अनियमित कार्यवाही इस की थाः।

नाम	राशि
श्री एल. के. चौहान	1800.00 रु. मासिक
श्री ब.कुमार	500.00 -"-
श्री [illegible]	400.00 -"-
श्री के.एल.चौहान	350.00 -"-
श्री [illegible] कुमार	300.00 -"-
श्री सुरेश कुमार	400.00 -"-
श्री [illegible] कुमार	300.00 -"-
श्री ए.के.ए.कुमार	300.00 -"-
श्री [illegible] राम	400.00 -"-
श्री [illegible] कुमार	300.00 -"-

..41..

471

37. वाउचर सं. 107 मास 4/02 राशि 11990.00 रु. :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा वायल लकड़ी के नवरात्रा अवधि 12.4.02 से 24.4.02 तक मस्टरोल पर रोके लकड़ी स्टाक हेतु किया गया। मस्टरोल की जांच करने पर पाया गया कि क्रम संख्या 20,21,22 व 23 को कार्य पर दिनांक 14.4.02 से लगाया गया परन्तु क्रम सं. 24 की हाजरी 13.4.02 से लगाई गई थी। इस प्रकार मस्टरोल भरने के नियमों के अनुसार गलत था। क्योंकि जिस व्यक्ति ने कार्य 13.4.02 से प्रारम्भ किया उसका नाम 14.4.02 को हाजिर होने वाले स्टाक से कैसे लगाई गई। इस प्रकार गबन अनुचित प्रतीत होता है। अतः उक्त मामले की जांच सक्षम अधिकारी/तकनीकी अधिकारी से करवाई जाए तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

38. रु0 32207.50 रु. का अनुचित भुगतान :-

निम्न प्रकरणों में श्रमिक मजदूर निम्न विवरणानुसार विभागीय तौर पर निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु कार्य पर रखे गए। जांच में पाया गया कि उक्त कर्मचारी/मजदूर अनुपस्थित ( ) आधार पर रखे गए थे औरइनके रविवार अवकाश का भी भुगतान किया गया। अवकाश के दिनों का उक्त भुगतान अनुचित है। अतः इस राशि की वसूली दोषी अधिकारी से की जाए।

..10..

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
658	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15 मजदूर @ 60-00	900-00
					1 मजदूर	60-00
663	[illegible]	18.5.02 से 31.7.02	[illegible]		@ 60-00 26 मजदूर @ 60-00	2400-00	मेन बाजार में हस्पताल रोड पर स्ट्रीट लाइट (हैलोजन) लगाने हेतु।
810	[illegible]	[illegible] से [illegible]	[illegible]		15 मजदूर @ 60-00 1 मिस्त्री @ 76-00	900-00 152-00	सरदार वार्ड नं. 3 रमेश कालोनी के पास ½ आने वाई बाल रोड पर खड़ंजा बना।
917	[illegible]	24.10.02 से 31.10.02	27.10.02	—	11 मजदूर @ 60-00 1 मिस्त्री @ 76-00	660-00 76-00	सरदार वार्ड नं. 13 [illegible] के पास है।

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

39. वाउचर संख्या 875 माह 10/01 द्वारा 895.00 रु. का भुगतान निम्न ब्यौरे के अनुसार उपाचार का क्रय करने पर श्री शुभ एजेन्सी चित्रकूट को भुगतान किया गया परन्तु उपाचार पत्रों का उपस्थिति रजिस्टर प्रोफार्मा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त उपाचार पत्र का प्रेषित रजिस्टर में दर्ज किया जाकर सुनिश्चित किया जाए।

ट्रिप्सिन 30 मी.	50.00
विल्व रिसाफल 92 मी.	184.00
पेजाब केसरी 92 मी.	203.00
अमर उजाला 92 मी.	202.00
	599.00 ....(1)
पेजाब केसरी 30 मी.	69.00
अमर उजाला 30 मी.	67.00
	136.00 ...(2)

40.

वाउचर सं.	माह	राशि
(1) 2208	3/01	156.00
(2) 94	4/01	800.00
(3) 535	8/01	250.00
(4) 173	5/02	400.00
(5) 174	5/02	900.00

उपरोक्त वाउचर (1) से (5) द्वारा आपूर्ति की मदों के दौरान बेच जाने के कारण और आपूर्ति सहायता/(विरायां) की प्रतिपूर्ति निम्न व्यक्तियों को की गई परन्तु राशि के प्राप्त होने की पुष्टि के सम्बन्धित व्यक्ति की वास्तविक रसीद प्रोफार्मा में प्रस्तुतगी की गई। अतः वास्तविक रसीदें अनावश्यक विलम्ब के समय उपलब्ध की जाए अन्यथा राशि की वसूली पूर्वकाल के बीच की जाए।

41. वाउचर संख्या 2095 मास 2/2002 राशि 99557.00 रु. :-

दिनांक 15.1.2002 को सम्पन्न हुई मन्दिर न्यास की बैठक[मद संख्या 6] में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि 5 सदस्य दल तिरुपति यात्रा की ले मन्दिर की प्रबन्ध व्यवस्था का अध्ययन करने हेतु तिरुपति जाए ताकि चिन्तपुरनी मन्दिर व्यवस्था को तदानुसार सुधारा जा सके। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि उक्त प्रस्ताव मन्दिर अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं था और पांच सदस्य दल श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा एस.डी.एम. अम्ब, श्री आर.सी.कटोच मन्दिर अधिकारी, श्री रमेश वालिया, श्री रविन्द्र कुमार एवं श्री हंस राजपुरोहित मन्दिर न्यासी] ने दिनांक 20.2.2002 से 25.2.02 तक तिरुपति का दौरा किया। यात्रा हवाई जहाज से की गई। अभिलेखानुसार यात्रा हवाई जहाज से करने का कोई प्रस्ताव मैं पारित नहीं था। हवाई यात्रा दौरान चिह्न व अन्य खर्चों सहित मन्दिर न्यास को 99557.00 रु. का खर्च वहन करना पड़ा और अध्ययन सम्बन्धी रिपोर्ट भी न्यास को प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अतिरिक्त पांच सदस्य दल द्वारा चिन्तपुर्णी से दिल्ली तक की यात्रा मन्दिर न्यास की गाड़ी द्वारा की गई और गाड़ी का 19.2.02 से 25.2.02 तक दिल्ली में ठहराव करवाकर चालक को अनावश्यक रूप से दैनिक भत्ता के रूप में भुगतान किया गया। मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। ताकि इस प्रकार की भिन्नियमता पर अंकुश लगाया जा सके।

42. अभिलेखित अंकेक्षण :-

वाउचर	मास	राशि
27	4/01	7832/16.00

उपरोक्त वाउचर द्वारा मन्दिर न्यास के पत्र सं. टी.टी.सी/1147/2000 दिनांक 12.11.2002 द्वारा अध्यक्ष-कम-कि.कुल्लू डोनीपत को उनके चिठ्ठा सं. 120 दिनांक 31.1.01

एक इन्सीनेरेटर [Incinerator] क्रय करने हेतु किया गया। सामान्य उपयोग करने वाली वस्तुओं से कोषागार आमन्त्रित नहीं की गई। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त अभिलेख की जांच में पाया गया कि उक्त यंत्र उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। क्योंकि उक्त यन्त्र में कागजों को ही जलाया जा सकता है। अतः मन्दिर न्यास के रु0 9832/6.00 रु0 का उपयोग सही तौर पर नहीं किया गया। अतः इस क्रय के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए व मामला जांच पड़ताल हेतु उच्च अधिकारियों के समक्ष लाया जाता है।

43. मन्दिर न्यास चित्रकूटधाम के लेखा परीक्षा अवधि 1/2000 से 12/2002 तक के व्ययित भागों के अभिलेख में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा नीचे दिए गए विवरणानुसार जिलाधीश जनपद के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रत्येक मास मानदेय राशि का भुगतान किया जा रहा है। इन कर्मचारियों द्वारा न तो कोई मन्दिर से सम्बन्धित कार्य किया जाता और न ही कोई अन्य विकास कार्य। अतः उक्त भुगतान का पूर्ण औचित्य किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में आपेक्षित है।

कर्मचारी का नाम	राशि
डी.ए. जमा	500.00
[illegible]	400.00
जगदीश श्रीवास्तव	350.00
[illegible] कुमार	500.00
सुरेश कुमार	400.00
जयचन्द्र कुमार	500.00
रणवीर [illegible]	300.00
[illegible]	400.00
[illegible] कुमार	300.00
	3450.00 प्रति माह का व

..49..

44. मेरा परीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री रणवीर सिंह ठेकेदार कर्मचारी भविष्य न्यास निगम श्री, जिलाधीश ऊना के कार्यालय में नियत किया गया जबकि कर्मचारी का वेतन न्यास द्वारा ही दिया जा रहा है। अतः भविष्य अधिकारी से अनुरोध है कि श्री रणवीर सिंह ठेकेदार को वापिस बुलाया जाए अन्यथा उनका वेतन जिलाधीश ऊना के कार्यालय से ही आहरित किया जाए।

45.

वाउचर नं.	माह	राशि
391	7/2001	51839.00

उपरोक्त वाउचर द्वारा कुल रु.51839.00 रु. का भुगतान निम्न विवरणानुसार बर्तनों क्रय करने हेतु विक्रय हैनडीक्राफ्ट हैण्डलूम कारपोरेशन धर्मशाला जिला कं. 3639। दिनांक 28.5.01 को किया गया। जांच में पाया गया कि उक्त बर्तनों को भण्डारण रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया और न ही आगे बांटी जाने का कोई रिकार्ड रखा गया। अनियमित कार्यवाही किसके द्वारा की गई बताया जाए।

विवरण	दर	राशि
49 लीटर टी.सी. बाल्टी	74.00	3633.00
3 हत्थे	65.00	195.00
113 ली. टी.सी. टी.सी. के	74.00	8362.00
163 लीटर वर्क	205.00	33429.00
3 हत्थे	65.00	195.00
57 चमच बड़े	185.00	10545.00
3 सेलिंग बेसु	176.00	528.00
		56933.00
	विक्रीकर	906.00
	योग-	57839.00

46. जनजाति मामलों के विभिन्न अनुसूचित/जनजाति/बाह्य परिवारों की सहायता हेतु विभिन्न योजनाओं कार्यों की मांग परन्तु सभी के अवलोकन करने करने पर पाया गया कि वास्तव लाभार्थियों को न देकर किसी अन्य व्यक्तियों को दिया गया प्रतीत होता है जो कि एक अनियमितता है। इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा योजना की वसूली होगी के बारे

मास	सहायतार्थ प्रार्थी का नाम	सामान का विवरण	जिसे सामान दिया गया।
1/51	श्रीमति सपनी देवी	1 सूट, साड़ी, साबुन, 1 कुर्ती, 4 कुर्ते, 2 किलो देशी घी.	श्री कबीर सिंह
	श्रीमति रमादेवी	सूट, साड़ी, साबुन, 4 कुर्ते, 2 किलो देशी घी.	भगवान दुबेदा
	श्री सुरेश	1 सूट, साड़ी, साबुन, 2 किलो देशी घी, 2 धोतियाँ, 1 कुर्ती.	श्री देवचन्द
	श्री ज्ञान चन्द	1 सूट, साड़ी, साबुन, 1 कुर्ती, 3 कुर्ते, 1 किलो घी, पैंट, 2 किलो देशी घर, 1 धोती, 1 ट्रे	श्री सुभाष चन्द
2/51	श्री अमरो देवी	सूट, साड़ी, साबुन, 1 कुर्ती 4 कुर्ते, 2 किलो देशी घर, 1 ट्रे	श्रीमति अमरो देवी.
-"-	श्री धर्म सिंह	1 सूट, साड़ी, साबुन, 1 कुर्ती, 4 कुर्ते, 2 किलो घी.	--
-"-	श्री कबीर सिंह	1 सूट, साड़ी, साबुन, कुर्ती, 4 कुर्ते, 2 किलो घी. 3 रजीब खाली, लालटेन, 1 धोती.	श्रीमति विमला देवी.
	श्री राम चन्द	1 कुर्ती, 4 कुर्ते, सूट, 1 साड़ी, साबुन, 2 किलो घी, 3 गिलास, लालटेन.	श्रीमति हरदेवी देवी.
3/51	श्रीमति सारो देवी	1 कुर्ती, 4 कुर्ते, सूट, 1 साड़ी, साबुन, 4 गिलास 2 किलो घी, 1 पैंट.	श्री बशिष्ट
-"-	श्रीमति सन्तोष कुमारी	सूट, साड़ी, साबुन, 1 कुर्ती, 4 कुर्ते, 4 गिलास, 2 किलो देशी घी.	श्री राम कुमार,

3/01 श्रीमति सोमा देवी	सूट, साड़ी, चुन्नी, साल, 4छुपटे, 2किलो घी.	आवेदक पत्र उपरान्त के निधी सहायक द्वारा अनुमोदित था।
श्री सुरजमल राम	-यथोपरि-	-यथोपरि-
5/01 श्री दर्शन लाल	सूट, साड़ी, चुन्नी 4 छुपटे, मफलर, परात 2 किलो घी, पंखा, 5 गिलास ।	-यथोपरि-
-"- श्री देव प्रकाश	चुन्नी, 4छुपटे, सूट साड़ी, कोटी, अंगीठियां 2गिलास, 2किलो घी, पंखा.	श्रीमति उषादेवी
-"- श्री प्रकाश चन्द	सूट, साड़ी, साल, चुन्नी, 4छुपटे, 2किलो घी, पंखा, थाली, 4गिलास, 2कोटी, 1शिवार चद्दी.	श्री सुरेश कुमारी
श्रीमति निर्मलादेवी	चुन्नी, 4छुपटे, सूट, साड़ी, 4गिलास, 4गिलासियां 2 कोलियां, पंखा, 2किलो घी.	श्री मनोज कुमार
8/01 श्री भगवानदास	सूट, साड़ी, चुन्नी, 4छुपटे, 2किलो घी, पंखा, 1शिवार चद्दी, 4थालियां, 4गिलास, 2 कोलियां.	श्रीमति मोना देवी.
7/01 श्री ओम प्रकाश	1 सूट, साड़ी, चुन्नी, 4छुपटे, 2किलोदेशी घी, पंखा, 4गिलास, 4थालियां, 2 कोलियां, साल.	श्री संजीव कुमार,
श्री उमर सिंह	सूट, साड़ी, साल, मफलर, थाली, 1शिवार, मतीरी, 4गिलास, 2किलो घी, चुन्नी, 4 छुपटे.	श्रीमोहन पोहान
श्री दीप सिंह	सूट, साड़ी, कोटी, पंखा 1 मफलर, 4प्लेट, 4गिलास, 2किलो देशी घी, चुन्नी, 4 छुपटे, 1शिवार चद्दी.	श्री संजीव कुमार,

..52..

श्रीमति परमेश्वरी देवी	1 पुत्र, धारी, पुत्री श्री जयमन्त सिंह 4 पुत्रियां,रजिस्ट्री देवी पी., 3 निवास, धारी, पंजा.
श्रीमति पेमा देवी	पुत्र, धारी, पुत्री, श्री के राम 4 पुत्रियां,रजिस्ट्री देवी पी., 3 निवास,धारियां, पंजा, जोड़ी, धिकारपट्टी.
श्री सुरेश कुमार	पुत्र, धारी, भारत, पुत्री श्रीमति कृष्ण 4 पुत्रियां, पंजा, जोड़ी,धारियां। 1 डोबरा पट्टी.
श्री परम दास	पुत्र, धारी, पुत्री, श्री रमेशकुमार 4 पुत्रियां,निवास, 1 पुत्र,रजिस्ट्री पी.
श्रीमति पुनम कुमारी	पुत्र, धारी, पुत्री,4पुत्रियां, श्री जसवीर 3 रजिस्ट्री देवी पी., पंजा, सिंह. 3 निवास, धारियां
9/01 श्री राम चन्द	पुत्र,धारी, जोड़ी, श्री योगराज धारियां, निवास, 2पुत्रियां,रजिस्ट्री देवीपी, पंजा, पुत्री,4पुत्रियां
10/01 श्रीमति प्रेमी देवी	पुत्र, धारी, भारत, श्रीमति सावित्री पुत्री,4पुत्रियां, पंजा, धारियां, निवास, पुत्र,रजिस्ट्री पी.
श्री हरीश चन्द	पुत्र, धारी, पुत्री, श्रीमति सरोजा 4 पुत्रियां,रजिस्ट्री देवी पी., देवी. 4 निवास, धारियां, पंजा, जिला पट्टी.
श्री वरीक मोहम्मद	पुत्र, धारी, पुत्र, श्रीमति अमीरबिबी 4 निवास, पुत्रियां, पुत्री,रजिस्ट्री पी.
श्री सुरेश सिंह	पुत्र, धारी,रजिस्ट्री पी. श्री गोविन्द 2पुत्र,निवास, पंजा, सिंह. 1पुत्री, पुत्रियां
10/01 श्रीमति प्रेम लता	रजिस्ट्रीपत्र श्री कुमार सिंह

..पेज..

18/01 श्री रोशन लाल	सूट, साड़ी, पंखा, ओवरकोट, अंगरखियां, शीशे, शिशी, छुरी, 4 कुर्सी	श्री मेला सिंह
19 श्रीमति रामप्यारी	सूट, साड़ी, छुरी, 4कुर्सी, अंगरखियां, चरखा, टंकियों की.	श्री शिवचरण चन्द
20/01 श्रीमति विद्या देवी	सूट, साड़ी, छुरी, 4 कुर्सी, टंकियों की, पंखा.	आवेदन पत्र अंकित में नहीं था।
21/01 श्री प्रकाश चन्द	सूट, 4कुर्सी, साड़ी, छुरी, टंकियों की, अंगरखियां, पंखा, स्टील बाल्टी.	श्री चमन सिंह
श्री अविनाश कुमार	सूट, साड़ी, छुरी, 4कुर्सी, टंकियों की, 1 कम्बल, शिशीट, अंगरखियां.	श्री मेला राम
श्री अमरराम	छुरी, 4कुर्सी, सूट, साड़ी, अंगरखियां, टंकियों की की.	श्रीमति शीला देवी
श्री ओम चन्द	खोपरि व स्टील बाल्टी	श्री बुद्धु राम
श्री सुरजन राम	सूट, कम्बल, 4कुर्सी, 4 शिशीट, टंकियों कम्बल, टंकियों आटा, टंकियों गरम मसाला, टंकियों चना दाल, टंकियों चावल, टंकियों चीनी, टंकियों मिर्च, टंकियों हल्दी, 2 अंगरखियां.	प्रार्थी अ/अ.ज. के अन्तर्गत नहीं है।

नोट: श्री प्रकाश चन्द तथा सुरजन सिंह द्वारा 4 श्री अमर लाल, प्रकाशवार सिंह तथा श्री अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर चार सिलाई मशीनों के सिलाई करने संबंधित अन्य को 2 सिलाई मशीनों की चोरी किया जा रहा है। इस बारे जांचित स्थानीय सिलाई करने व्यवसायों से सम्पर्क करने का प्रयास करें।

48. मन्दिर न्यास के स्टाक रजिस्टर अवधि 1/01 से 2/02 तक अधिकृत बातों में सन में प्राप्त सामान को निम्न विवरणानुसार सदस्यों की शाखाओं पर बांटी किया गया। मन्दिर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है, क्योंकि इस प्रकार के वितरण का एक्ट में कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्णित सामान को आवेदक को न करके अन्य को किया गया। वितरण अन्य को करने का औचित्य रिकार्ड को स्पष्ट किया जाए।

49. निम्नलिखित साड़ी का भुगतान आवेदक को न करके किसी अन्य व्यक्ति को किया गया :-

वर्ष	साड़ी का विवरण	आवेदक का नाम	जिसे साड़ी बांटी गई
1/00	सूट 1, साड़ी 1, धोती 1, पेंट 1, गमछा 1, पायल स्टील-1, चा 2 किलो, कुर्ती-1, कुर्ता-1.	श्रीमति कला देवी विधवा श्री साधु राम गांव व पो. कुमा, तहसील किला लाल	श्री हरका राम
	सूट-1, साड़ी 1, धोती 1, कुर्ता 1, कुर्ता 4, की टोपियां, पेंट 1, आंवला-1, सूट 1, साड़ी 1, धोती 1, कुर्ता-1, कुर्ता-4, की टोपियां	भुगतान स्वयं को ही किया गया गांव तेमाड़ी किला लाल।	उदीप सोनी
-"-	पेंट 1, शिवार धोती 1, कमीजें 5, शिवार 5,	श्रीमति कला देवी, विधवा श्री शिवू राम गांव शिमुरी किला लाल.	श्री अरुण कुमार
-"-	सूट 1, साड़ी 1, कुर्ती 1, कुर्ता 4, की टोपियां, कमीजें 4, शिवार 3, पेंट 1.	श्री [illegible] पुत्र साधु राम देवी किला लाल.	श्रीमति मोती देवी

4/02	बुटा,ताड़ी 1,खाल 1, कुर्सी 1,कुर्सी 4,घी 2किलो, डी,आलिया 4,चिलाल4.	श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्री रामबाबू गांव अमरापाल जिला उन्नाव। श्री दिनेश कुमार
-"-	कुर्सी 1,कुर्सी 4,बुट 1, ताड़ी 1,पंखा 1,चिलाल4, कौलीं3,आलियां 2,घी 2, गाय 1.	श्री भोलू राम श्रीमति पैलाबेवी गांव सैयदखेड़ा उन्नाव.
-"-	बुटा,ताड़ी 1,खाल 1,कुर्सी 1, कुर्सी 4,घी 2किलो,पंखा 1, चिलाल 3,कौलीं2.	श्री चिराग चन्द महेश कुमारी गांव महोलिया कुर्द हसनगंज उन्नाव.
-"-	कुर्सी 1,कुर्सी 4,बुटा,ताड़ी 1, खाल 1,घी2किलो,चिलार पट्टी 1,पेटा2,थाली 1,	श्री रतन चन्द गांव श्री लाल चन्द बंगेराह जिला उन्नाव।
	बुटा,ताड़ी 1,खाल 1,कुर्सी 1, कुर्सी4,घी 2किलो,पंखा 1,कौलीं2.	श्री राम चन्द गांव श्री भान कुमार पीतपुर मोहल्ला, हसनगंज उन्नाव।
-"-	बुटा,ताड़ी 1,खाल 1,कुर्सी-1, कुर्सी4,घी 2किलो,पंखा 1.	श्री भैयारराम,कुं श्री कुंज बिहारी सिंह श्री भलिया राम गांव उसोह,जिला उन्नाव.
	कुर्सी 1,कुर्सी 4,बुटा,ताड़ी 1, थाली4,चिलाल 4,घी2.	श्री अवतार चन्द कुं श्री श्री भान सेठ राम,गांव अमरापाल कुमार जिला उन्नाव।
7/02	बुटा,ताड़ी2,खाल 1,घी2किलो कुर्सी4, कुर्सी,थाली 1, चिलाल 5,कौलीं2.	श्री लोटन सिंह कुं श्रीमति कांता श्री भैरू राम,गांव देवी. मवा जिला उन्नाव।
-"-	कुर्सी,ताड़ी2,कुर्सी4,कुर्सी, घी 2किलो,थाली 1,चिलाल 5,[illegible] छा,मटकी.	श्री भैरव सिंह गांव रावे श्री प्रीतम चन्द। जिला उन्नाव.

50. **अवधारण :-**

(क) मन्दिर न्यास निधि से कोई बिल या सामान की खरीद प्रतिभूतियां उपभोक्ता एवं अनुपभोक्ता रजिस्टरों में अंकन नहीं की गई तथा अनावश्यक वस्तुओं का निपटारा भी नहीं किया गया।

खाता सामान का पूरापन सत्यापन की तरह अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। अतः औपचारिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) लेखा एवं मूल्य लेखा के स्टाक रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न मदों के अनुसार सामान लेखा एवं मन्दिर स्टोर में भारी मात्रा में पड़ा है। मन्दिर प्रशासन से अनुरोध है कि आवश्यकता से अधिक पड़े सामान की निलामी या अतिरिक्त मूल्य निर्धारित कर बेचना निपटारा कर प्राप्त राशि को मन्दिर लेखे में जमा कराया जाए। अनुपालना आगामी निरीक्षण में चाहिए।

मदों का विवरण	मात्रा
लोहे बटोरी/थाली	42 नं.
दरियाँ	136 नं.
दूध	4820 नं.
बोरी	20 नं.
गद्दा	52 नं.
तौलिये	49 नं.
तौलिया	174 नं.
पीतल घंटियाँ	720 नं.
रसीद बुक	12 नं.
पलंग	1994
कुर्सी बेंच	2 नं.
टोपी व बेल्ट	140 नं.
अलियाँ स्टील	50 नं.
गिलास स्टील	36 नं.
दीवार घड़ी	3 नं.
स्टील बेंच	4 नं.
खुल मार्केट	14 नं.
स्टील डिब्बा	11 नं.
स्टील बाल्टी	25 नं.
स्टील जोती	4 नं.
स्टीकिंग पेज	
डिलार पेज व पावड़	15 नं. मंदिर प्रशासन से नहीं बताया गया।

..38..

187

स्टील गट्टू,तांबा	187 नं.	बरामद अभ्र से नहीं लगाया गया
गट्टू-8 दोहू		
पेट पत्थर	10 नं.	-"-
स्टील बाल्टी		
लोहा बाल्टी व	5 नं.	-"-
पीतल हण्डा	7 नं.	-"-
आम पीतल,स्टील व तांबा	16 नं.	-"-
ग्लास,बाटी चिलमची	12 नं.	-"-
तेल ताम्बा	1-"-	-"-
लकड़ी	123नं.	-"-
अन्य स्टाक रजिस्टर		
स्टील ग्लास	3367	
स्टील कटोरी	23778	
स्टील जग	89 नं.	
सिल्वर पतीला	41 नं.	
थाल	437।	
स्टील कोली	265	
स्टील बाल्टी	70 नं.	
स्टील थाली	357।	

5 ल. श्रीमान अपर जि0 ए0 12/02 के श्रीमान ने पाया गया कि पश्चिम न्यायालय द्वारा निम्न मामलों में मुद्दाओं की आज्ञाओं पर सामान जारी किया गया पाया गया। मेरे ने पाया गया कि आवेदक की प्रार्थनाओं से भी। अपर प्रार्थी द्वारा सामान जारी जमा एवं अधिकृतता है। अतः सम्बन्धित मूल आवेदक आगामी श्रीमान ने प्रस्तुत किए जाने अन्यथा अपेक्षित मूलों सम्बन्धित से भी जाए।

क्रम	प्रार्थी का नाम	सामान का विवरण
2/02	श्रीमति सरिता देवी बैरोयान आ.	1 कुर्सी, लाठी, थाल, छुरी, 2चिमटे, 1[illegible], 4कुर्सी, 4कुर्सी पंचिमाल।
	श्रीमति कमलेश देवी सम्पोषक	मेज, लाठी, थाल, 4छुरी, 4कुर्सी, 2चिमटे, पंचिमाल।

श्रीमति सलमी देवी पत्नी	1ट्रंक, 4सूटकेस, 2बिस्तरबंद, 4गद्दा, 1पंखा, विविध।
श्री बाबू चन्द रघुवंशी	सूट, साड़ी, शाल, 1ट्रंक, 4सूटकेस, 2बिस्तरबंद, 1पंखा, 3गद्दा, 4कोटी।
श्रीमति प्रतीक्षा देवी पंचाल	सूट, साड़ी, शाल, 1ट्रंक, 4सूटकेस।
श्री कमेश्वर लाल मोदियाँ	सूट, साड़ी, शाल, 1ट्रंक, 4सूटकेस, 2बिस्तरबंद।
श्रीमति बाल्मीकी बहादुर	सूट, साड़ी, शाल, 1ट्रंक, 4सूटकेस, 2बिस्तरबंद, 2गद्दा, 1खाट।
श्री रामधारी चौरसिया	सूट, साड़ी, शाल, 1ट्रंक, 4सूटकेस, 2बिस्तरबंद, 1पंखा।
श्री रमेश लाल बहादुर	1पेटी, 4सूटकेस, सूट, साड़ी, शाल, 1पंखा, 2बिस्तरबंद, 2खाटियाँ, 3गद्दा।

38. वाउचर संख्या 535 मद 8/01 द्वारा 12740.00 रु. का व्यय एक डी.टी.एम. तथा बैटरी सिंचाई वेधशालीय योजना पिन 4. 15ए विभाग 22.7.01 को किया गया। इस पिन गन बेरो की माप पुस्तिका सं 6 पृ0 76 स्टाक रजिस्टर पृ0 2सी पर लिया गया। जाँच में पाया गया कि सामान को सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था जिससे सामान की दुरुपयोग प्रतीत होता है। अतः अपेक्षित कार्यवाही अब की जाए। अनुपालन अवगती प्रेषित में करायें जाए।

वाउचर सं.	मास	राशि
1. 535	8/01	336290.00
2. 759	10/01	341399.00
3. 920	10/01	600.00

उपरोक्त वाउचरों (1) व (2) द्वारा बेल्ट पिनों का भुगतान किया गया जाँच में पाया गया कि उक्त वाउचरों का सक्षम अधिकारी के भुगतान आदेशों को अतः अपेक्षित कार्यवाही अब उनके में करायें जाए।

वाउचर सं0600 मास 10/01 द्वारा 600.00 रु. का भुगतान किया। जाँच में पाया गया कि उक्त वाउचर के 400.00 रु. का बिल की सत्यापित का किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पारित

नहीं किया गया। अतः बिना नुकसान के व्यय लेखिका प्रतीत होता है। अतः 400.00 रु. के बिल को अग्रसारित किया जाए अन्यथा 400.00 रु. की वसूली दोषी से की जाए।

वाउचर संख्या 1154 मास 1/01 द्वारा 4850.00 रु० का भुगतान अधोहस्ताक्षरित द्वारा राशि को कि अवमुक्ताधिकारी/नगर अभि० के कार्यालय में है की मुख्यमंत्री हेतु की गई। मन्दिर अधिनियम के अनुसार यह भुगतान विधि पर वर्जित प्रतीत नहीं है। अतः मु0 4850.00 रु. की वसूली सम्बन्धित कार्यालय से की जाए।

53. वित्त 1/01 से 12/02 तक के चयनित मदों का ऑडिट करते समय पाया गया कि चालान रजिस्टर में प्राप्त धनराशि को स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया व चालान के रूप में प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतः उक्त बन्दुओं को स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया जाए अन्यथा धनराशि की कीमत निर्धारित की वसूली सम्बन्धित से की जाए।

वैधिक चालान सं0	दिनांक	वस्तुओं का विवरण	रसीद सं.	रसीद में दर्शाया गया	वैधिक चालान रजिस्टर में दर्ज धनराशि	कम दर्ज
6860	23.7.01	स्टील पेंट	2755/000032	51	1	50
6860	-"-	ऐनी बी	2755/000034	15किलो	5किलो	10किलो
6820	11.7.01	स्टील पेंट	2745/000087	11	1	10
6819	-"-	बस	2745/000089	11	1	10
6833	4.7.01	ऐनी बी	2740/000098	10½ कि.	½ कि.	10 कि.
6847	21.7.01	ग्लास फिनी	2750/000054	4 मी.	1 मी.	3
6846	-"-	स्टील मार्बी	2751/000052	21	1	20
6870	26.7.01	स्टील फिनिश	-"-	21	1	20
6858	20.7.01	स्टीलफिनिश	2751/000062	11	1	10
6883	27.7.01	ऐनी बी	2752/000089	15	1	14कि.
6839	18.7.01	-"-	2752/000016	14	4	10कि.
6878	30.7.01	-"-	2752/000070	1.5	0.5	01
6898	27.7.01	-"-	2753/000023	13	3	10
7129	21.10.01	ड्रम ग्रीस	2806/000074	6	1	5

क्र.	वाउचर सं.	मास	राशि
	(1) [illegible]	7/81	46443.00
	(2) —	7/81	192440.00

वाउचर सं. (1) व (2) द्वारा निम्न विवरणानुसार स्ट्रीट वार्डर्स बिल्डी का भुगतान कर्ज करने हेतु किया गया। कर्ज से पूर्व वित्तीय औचित्यकारियों को पूर्व नहीं किया गया। भुगतान राशि पर को बारे नहीं लिए गए। अतः औचित्य आपत्ति न करने का औचित्य [illegible] से स्पष्ट किया जाए। कुल [illegible] 2700.00 रु. और [illegible] (1) [illegible] वाउचर में उल्लेख कर परन्तु वास्तविक बिल [illegible] में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अधिक भुगतान की वसूली [illegible] से [illegible] की जाए।

क्र. सं.	भुगतान का विवरण	राशि	पर्ष का नाम
(1)	बिल्डी का भुगतान	18723.00	[illegible]
	कुल	2700.00	[illegible]
		21423.00	[illegible]
(2)	5 [illegible]	17580.00	
	4 [illegible]	7500.00	
		25080.00	
(3)	20 [illegible]	10000.00	[illegible]
	20 —"—	150—"— 12000.00	[illegible]
	40 —"—	—"— 24000.00	[illegible]
	5 —"—	250 3250.00	
	[illegible]	400 4800.00	
		250 [illegible]	
	5 —"—	400 [illegible]	
		150 11550.00	
		[illegible]	
	[illegible]	150 12750.00	—"—

..62..

55. मास 5/02 में राजकीय उच्च पाठशाला रामपुरी के तीन पेड़ काटे गए थाने पर परन्तु प्राप्त लकड़ी की वास्तविक रसीद प्रस्तुत नहीं की गई। बिना रसीद के तीन पेड़ों को शून्य किया जाना तथापि का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतः पाठशाला की वास्तविक रसीद बिल में प्रस्तुत की जाए अन्यथा अधिक वसूली योग्य से की जाएगी सुनिश्चित की जाए।

मास 6/02 द्वारा श्रीमति चैतरा देवी को निम्न सामान बिना अन्तिम अनुमति की स्वीकृति से किया गया जो कि सामान का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतिरिक्त स्वीकृति अब प्राप्त की जाए।

5 कुर्सी,3 स्टूल,5 पुट,स्लाइड, ,ब्लैकबोर्ड,व 2 बिल्ली बोर्ड ।

(ख) मास 6/02 द्वारा श्री रामकुमार को निम्न सामान अन्तिम कलार से खरीदा किया गया परन्तु सम्बन्धित व्यक्ति का आवेदन बिल में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अधिक अवशेष राशि के 5% का भुगतान बिल में शुल्क किया जाए।

(ग) 6 पुट,स्लाइड, मकान,2 बि.बोर्ड की, ब्लैकबोर्ड,1 पंखा 1 मेज,5 कुर्सियां, 5 स्टूल ।

56. चयनित छात्रों के बिल में पाया गया कि निम्नलिखित सामग्री अन्तिम भुगतान से अन्य वीडियो के कर्मचारी को निर्गमित की गई परन्तु निर्गमित की गई सामग्री की प्राप्ति/रसीद बिल में प्रस्तुत नहीं की गई।

मास	सामग्री का विवरण	जिसे सामग्री निर्गमित की गई
7/02	चयन 40 किलो अरहर दाल 40 किलो मास काल 5 किलो चना काल 4 किलो सोयाबीन 5 किलो चावल 1 कि. मिर्च 0.5किग्रा. हल्दी 0.5किग्रा. नमक 4 किलो	श्री शिवचरण राम पुत्री एवं श्री प्रकाश चन्द,प्रकाश कुमार के बिना तिथि मांगे हुआ।

192

स्टील थाली	4
गिलास	4
कोली	4
मूंढ	40
कलश	2
घुन्टे	10

57. निम्नलिखित बाबूजी सहूली की खरीदी हेतु श्री अनिल कुमार गोयल-विक्रेता को भाग 7/02 से दिया गया परन्तु उक्त सामान को बिना सहायक आयुक्त के अनुमोदन से दिया गया जो कि अनुचित है। इस बारे पूर्ण औचित्य दिया जाए।

भाग	सामान का विवरण
7/02	मूंढ 3, थाली 2, मग 1, घुन्टे 3, थी 2, कलश 4, कोली 2, छन्नी 3, गिलास छोटा 1, स्टोव 1

58. मन्दिर न्यास चिन्तामणि के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नीचे खाने में प्रसादी जनता पेड़े/मिठाईयां इत्यादि पर खर्च किया गया। पूछने से बताया गया कि यह सामान श्रद्धालुओं को दिया गया। उक्त मद्य मन्दिर अधिनियम के अनुसार मन्दिर पर तर्पित प्रसाद नहीं है। साथ ही अतिरिक्त उक्त सामान को स्टाक रजिस्टर में भी दर्ज नहीं किया गया था। अतः अपेक्षित कार्यवाही अब की बार व भविष्य में नियमानुसार पर रोक लगाई जाए।

वाउचर	माह	राशि	विवरण
825	10/01	2000.00	कोरा चिन्ह, नकदीन नारियल
20	4/01	972.00	—"—
516	8/01	1379.00	—"—

59. लेखा के अधि 1/01 से 12/02 तक के अंकेक्षित भागों का लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार राशि बिना अनुक्रम "ख" में लिया गया है जो स्टाक रजिस्टर में नहीं लिया गया अतः कम लिया गया। इस राशि की प्रविष्टियाँ को स्टाक में न लेने अथवा कम लेने/बढ़ाने का जोखिम अधिकारी को लिया जाय अन्यथा निम्न वर्णित राशि का वर्तमान बाजारी मूल्य निर्धारित करके राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके लेखा लेखे में जमा किया जाय तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाय।

60. स्टाक रजिस्टर के पृ0 सं. 466 के अनुसार तीन ब्रा के पीपे की राजपत्र भण्डार की बाकी मान में जमाने हेतु बारी लिए जाए परन्तु इन पीपों को बाकी मान जमाई के स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। अतः अंकेक्षित कथन इस लिए जाए अन्यथा पीपों को सम्बन्धित से वापिस ले लिया जाए।

61. (क) स्टाक रजिस्टर के पृ0 [illegible] के अनुसार 5 ब्रा के पीपे ग्रीनफिल्ड कम्पनी को बारी लिए गए लेकिन गए परन्तु अंकेक्षण अभिलेख अथवा/सामान्य अथवा द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था। अतः बिना स्वीकृति के पीपे बारी करना अनुचित है जिसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु वसूली की जाए व अभिलेख में जमा की जाए।

(ख) स्टाक रजिस्टर के पृ0 446 के अनुसार 2 ब्रा के पीपे मायक्स [illegible] अथवाई को लिए गए राशि 100.00 रु. प्रति पैक कुल 200.00 रु. प्राप्त लिए बारी लिए गए लेकिन परन्तु प्राप्तकर्ता का नाम तो स्वीकृत अंकेक्षण अभिलेख व खरीद विभाग में उपलब्ध अथवाई नहीं। अतः अंकेक्षित आपत्ति पर अनुपालना आगामी विभाग में लिखाई जाए।

स्टाक रजिस्टर के पृ0 446 के अनुसार 2 ब्रा पीपे [illegible] कुमार को बारी लिए गए लेकिन परन्तु अंकेक्षित स्वीकृत अंकेक्षण अभिलेख में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अंकेक्षित आपत्ति पर अनुपालना अंकेक्षण के दौरान साक्ष्यार्थ प्रस्तुत किया जाय।

(घ) स्टाक रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि अभिलेख भण्डार पाँच पीपे [illegible] अंकेक्षण के [illegible] चोरी हो गए परन्तु पुलिस रिपोर्ट में चोरी की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। अंकेक्षित आपत्ति पर [illegible] अभिलेख भण्डार की लापरवाही में हुआ को जिम्मेदारी का निर्धारण की जाए।

62. **अनियमित प्रविष्टियाँ न करना :-** लेखा में पाया गया कि निर्माण में प्रयुक्त की गई निम्न सामग्री की सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर में चढ़ाया नहीं किया गया था तथा न ही इनके उपयोग/निपटारे सम्बन्धी कोई प्रविष्टि लेखा में किया गया। अतः सत्यापक सूचना से लेखा को शीघ्र अवगत कराया जाय।

बी०नं०	मास	राशि रु०	मद का नाम/विवरण
397	7/91	9668.00	बिजली का सामान।
443	-"-	150.00	लेखा सामग्री।
444	-"-	660.00	8000 नोट शिव व 10 खोंड बर्ड।
448	-"-	7310.00	40 लिटर तथा दूसरा सामग्री पर्वतनी सोनिभद्रपुर।
		704.00	16 पीस डी०आई०प्लाई नाल पण्ड की सोनिभद्रपुर बिल नं० 00072 दिनांक 13.7.91
-"-	-"-	5830.00	4 लेखा का जोगिन्दपुर बिल नं० सम्बन्ध बिल नं०4094 दि०15.7.91
-"-	-"-	450.00	टोंटियाँ।
821	10/91	486.00	27 खोंड बुक
822	-"-	661.00	सामान का सामान।
857	-"-	50.00	2 पत्र लोहा पण्ड सील
891	-"-	23633.00	38.18 बी०एच०पी०
		5927.00	38.16 किलो वायर
		5100.00	400 किलो लूम
		1896.00	24 पीस वाइपर कलीकिन
		225.00	4 पम्प
		450.00	15 बड़ी की टोंटियाँ
879	10/91	486.00	2 दैनिक वाउचर रजिस्टर व।
882	(90)	450.00	बोनी खर्च के लिए रजिस्टर।
1160	12/91	10998.00	13 लिटल वारबोल।
		14972.00	20 -"- -"-
2062	1/2001	17131.00	7.74 किलो मशीन व 5.99 किलो बुलिया।
2250	3/91	450.00	15 टोंटियाँ 30.00 रु०
		12960.00	36 किलो बी०एन०सी०
		7200.00	40 डी० लाईन वायर।
78	4/91	280.00	7 किलो बी०सी०सी०वायर 40.00

*****

284	6/61	1120=00	स्टेशनरी
286	-"-	242=00	-"-
519	8/61	486=00	सीमेंट बुकें ।
607	-"-	3447=00	10 डस्टबिन 3x3 [illegible] 2500/
			2 -"- -"- -"- 3750/
			5 -"- 2 x1 [illegible]
690	-"-	78404=00	यह बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया ।
802	12/61	486=00	9000 नोट शीट ।
1003	-"-	317=00	30 सीमेंट बुक ।
1204	-"-	486=00	27 पैकेट सीमेंट बुक @ 18/-
1246	1/62	400=00	5 लिखने कापी
1286	-"-	400=00	लाल पेंट 5 लीटर व सफेद 1लीटर
		428=00	पेंट,2 ब्रश
		476=00	30 झाड़ू
		2130=00	6 [illegible]
1331	2/62	8100=00	500 बोरी सीमेंट
1332	-"-	9000=00	44 पार्टर
[illegible]		300=00	20 [illegible]
1348	-"-	[illegible]	23 [illegible] टोकरियाँ ।
1364	-"-	28=00	1 पीट
		160=00	2 जी॰आर॰ बुशिंग
		50=00	1 जी॰आर॰बी॰
		60=00	-"- [illegible]
		150=00	पार्टर [illegible]
		120=00	जी॰आर॰बुशिंग
1409	2/62	490=00	[illegible]
1459	3/62	8000=00	40 [illegible] @ 20=00
		486=00	27 सीमेंट बुक @ 18
1485	-"-	400=00	5 लिखने कापी
1498	-"-	2[illegible]	[illegible] 71=[illegible] [illegible] 240=00
			[illegible] 48[illegible] 34=[illegible]
			@ 240=00, [illegible] 10=[illegible]
			350=00 [illegible] @ [illegible]
1538	-"-	276=00	12 [illegible] @ 18, 12 [illegible] @ [illegible],
			4 [illegible] @ 15, [illegible] @ 30
132	5/62	9750=00	50 बोरी सिमेंट
172	-"-	3674=00	[illegible] 42 [illegible] 81
188	-"-	486=00	सीमेंट बुक
228	-"-	400=00	5 लिखने कापी ।
252	6/62	3200=00	200 सीमेंट,बोरी @ 160
260	-"-	8000=00	50 -"-

....

305	5/02	1264-00	6000 नोट बिल दैनिक रजिस्टर विक्रय रजिस्टर सी॰डी॰एम॰ रजिस्टर ।
452	8/02	492-00	3 रिमांड बाक्स
464	-"-	16000-00	60 बैग सी॰एम॰डी॰ 300-00 तथा कुर्सी बिना कवरिंग आपूर्ति का किया गया ।
		1752-00	25 बिल्ली एल॰डी॰
		438-00	15 बोर्ड टाइपराइटर ।
492	-"-	3600-00	11 बाक्स पिन्स
			4 -"- क्ल
			4 -"- मा
			4 -"- पिन्स
			2 ट
			1 ट सेट
490	5/02	[illegible]	40 बैग बार्डर
522	-"-	3300-00	2 पैटी[illegible], 3/4 x 3x2 11/2 1650
545	-"-	450-00	30 [illegible] 24.00
448	-"-	3010-00	120 बिल्ली [illegible]
			40 बिल्ली [illegible]
479	9/02	6121-00	[illegible]
491	-"-	144813-00	रैल 200-25 [illegible]
			[illegible] 319-92 -"- 40एम॰एम॰
			[illegible] 18-25 -"-
			[illegible] 23-50 -"-
			[illegible] 76-50 -"- 30 -"-
500	-"-	2616-00	2 रीम सी॰डी॰सी॰बायर 8/20
			2 ——"——
			30 [illegible]
			[illegible] 300 पार्ट
			[illegible] सी॰डी॰सी॰बायर
			2 सी॰डी॰सी॰बायर
			70 सी॰ ——"——
			20 सी॰ ——"——
502	-"-	[illegible]	[illegible]
518	-"-	1170-00	7 [illegible] रजिस्टर
			3 रजिस्टर
			[illegible]
529	-"-	31600-00	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
591	10/02	[illegible]	10 सी॰ [illegible]
636	-"-	[illegible]	200 [illegible]

			24 पीस [illegible]
		1479-00	20 लिटर [illegible]
		460-00	3 लिटर [illegible]
		450-00	15 [illegible] की टोंटियाँ
137	10/62	3036-00	15 [illegible] पुरा
		6000-00	20 -"- -"-
6464	-"-	8700-00	[illegible]
671	-"-	400-00	5 [illegible]
647	-"-	83872-00	[illegible]
697	11/62	500-00	4 [illegible]
698	-"-	250-00	12 [illegible]
			1 [illegible]
			2 [illegible]
			2 [illegible]
762	12/62	[illegible]37-00	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
763	-"-	26000-00	40 [illegible] 9300-00
			--- "--- 9300-00
			40 --- "--- 6200-00
765	-"-	31000-00	200 [illegible]
766	-"-	17001-00	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
766	-"-	17001-00	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
767	-"-	10092-00	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
768	-"-	9500-00	60 [illegible]
770	-"-	490-00	[illegible]
771	-"-	400-00	[illegible]
823	-"-	9595-00	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
838	-"-	15574-00	[illegible]
			[illegible]
848	-"-	490-00	5 [illegible]
909	-"-	5050-00	[illegible]
910	-"-	14050-00	[illegible]

***

49	4/92	485-00	27 [illegible]
54	-"-	9396-00	18 [illegible]
		6400-00	400 [illegible]
		5070-00	[illegible] 50 @ 180/-
		200-00	[illegible]
		484-00	11 [illegible]
		450-00	30 [illegible] 30-00
62	4/92	1900-00	[illegible]
101	-"-	490-00	5 [illegible]
52	-"-	[illegible]225-00	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
248	7/92	720-00	10 [illegible]
		450-00	[illegible]
251	-"-	5011-00	[illegible] @ 19-00
		3947-00	[illegible] @ 19-00
267	-"-	2190-00	[illegible]
269	-"-	5041-00	[illegible]
378	[illegible]	[illegible]	[illegible]
383	-"-	720-00	[illegible]
418	-"-	[illegible]	[illegible]
378	-"-	1450-00	[illegible]

***

63. मन्दिर के स्टाक अवधि 1/2001 से 12/2002 तक के लेखानिरीक्षण मानों का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि मन्दिर की दान में प्राप्त पोथी में विभिन्न सरकारी गैर सरकारी पाठशालाओं, वाचनालयों व संस्थाओं को उक्त अवधि पोथी का अंकित मूल्य पोथी 100=00रूपये की दर से छात्रों की संख्या पर निशुल्क दिया गया। अतः नियमानुसार इन पोथी के वितरण का अंकेक्षण की आपत्ति स्पष्ट किया जाय।

64. अभिलेख की जांच पड़ताल में पाया गया कि माह 3/2002 में श्री [illegible] निवासी देवी पत्नी दुर्गा राम [illegible] की पुत्री की शादी हेतु 1 दुल्हा, 4 दुल्हे, 1 सूट, 1 साड़ी, 5 कालिया, 2 पिलाव व 2 बिर्रा देवी की जारी किया। उक्त महिला को कोटा रेट कि गए आवेदन पर ही उपरोक्त सामान मंदिर के भण्डार से जारी किया गया। मन्दिर अधिकारियों से अनुरोध है कि भविष्य में सामान कोटा रेट आवेदन पर न दिया जाय।

65. शादी भत्ता विवाहों की जांच सूची :-

शादी भत्ता के विवाह रजिस्टर के लेखानिरीक्षण मानों के अवलोकन में पाया गया कि निम्न प्रकरणों में विवाहों की गणना गलत होने से अधिक विवाह का भुगतान किया है जिसकी वसूली दोषी कर्मचारी से की जाय। अनुपालना में का विवरण की सीधे अवगत किया जाए।

माह	महिला का नाम	आवेदन की संख्या	अवधि	राशि जो जारी की गई	राशि जो प्राप्त की गई	अप्राप्त राशि
7/01	श्री [illegible] निवासी [illegible]	366	26-7-01से29-7-01	200=00	100=00	100=00
-"-	कुंती कंवर [illegible]	209	——"——	300=00	200=00	200=00
-"-	[illegible] निवासी [illegible]	207	26-7-01से 29-7-01तक	300=00	100=00	200=00
-"-	[illegible] निवासी [illegible]	202	26-7-01से29-7-01तक	200=00	100=00	100=00
-"-	[illegible] निवासी	205	——"——	200=00	100=00	100=00
-"-	[illegible] निवासी, [illegible]	[illegible]	——"——	440=00	220=00	220=00
-"-	श्री [illegible] [illegible]	-"-	26-7-01से29-7-01तक	240=00	80=00	160=00

...2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7/01	श्री मोहन राम	318	26-7-01से30-7-01तक	400-00	100-00	300-00
-"-	सुरेन्द्र कुमार,कोटकपूरा	2,20,218	26-7-01से31-7-01तक	1000-00	200-00	800-00
-"-	गुरदियाल सिंह,पटियाला	राम	26-7-01से30-7-01तक	800-00	200-00	600-00
-"-	गुरदीप बाजी,गुरदासपुर	-"-	26-7-01से29-7-01तक	300-00	100-00	200-00
श्री	बलजीत सिंह,मलोट	राम	26-7-01से29-7-01तक	600-00	200-00	400-00
-"-	जसवीर बल्लाल,फतहगढ़	-"-	26-7-01से30-7-01तक	700-00	100-00	600-00
श्री	राम	-"-	26-7-01से29-7-01तक	400-00	200-00	200-00
-"-	जोगराज सिंह,जालन्धर	306	27-7-01से29-7-01तक	300-00	100-00	200-00
-"-	सुरेन्द्र कुमार,अमृतसर	राम	------"------	600-00	200-00	400-00
-"-	पवन कुमार,रायकोट	305	27-7-01से30-7-01तक	300-00	100-00	200-00
-"-	सुरेन्द्र कुमार,मुकेरियां	217,218	27-7-01से29-7-01तक	400-00	200-00	200-00
-"-	डा॰कैलाश मुकेरियां	318	27-7-01से30-7-01तक	300-00	100-00	200-00
-"-	नरेश कुमार,जालन्धर	215व216	27-7-01से31-7-01तक	800-00	200-00	600-00
-"-	नसीब सिंह,अमृतसर	304	27-7-01से29-7-01तक	200-00	100-00	100-00
-"-	अजीत कुमार,मुकेरियां	213,315,316	27-7-01से29-7-01तक	600-00	300-00	300-00
-"-	सुरेन्द्र कुमार,मुकेरियां	317	27-7-01से30-7-01तक	300-00	100-00	200-00
डा॰	सुभाष शर्मा	211	27-7-01से31-7-01तक	1000-00	250-00	750-00
श्री	अशोक लाल,मुकेरियां	212	27-7-01से30-7-01तक	300-00	100-00	200-00
श्री	जगमल सिंह	205	27-7-01से30-7-01तक	300-00	100-00	200-00
श्री	[illegible]	202	27-7-01से29-7-01तक	250-00	125-00	125-00
	-"-	207	27-7-01से29-7-01तक	200-00	100-00	100-00
श्री	विपिन कुमार,जालन्धर	-"-	27-7-01से30-7-01तक	300-00	100-00	200-00
	देवेन्द्र कुमार,होशियारपुर	313	------"------	300-00	100-00	200-00
7/02	श्री राजीव कुमार	107	17-7-02से21-7-02	600-00	150-00	450-00
10/01	नीरज खन्ना,अम्बाला	108	9-10-01से7-10-01	300-00	150-00	150-00
	[illegible],रामपुर	210	-"- से 7-10-01	375-00	125-00	250-00
	जीतराम,अमृतसर	106	6-10-01से8-10-01तक	300-00	150-00	150-00
	सुरेश सिंह,फगवाड़ा	215,216,195	6-10-01से8-10-01तक	450-00	220-00	230-00
					योग:-	9,653-00

66. पानी भवन के लेखाकारों के ध्यान में लाया गया कि समारा सं० 103 (डी सबमू) जिसका वैधानिक किराया 159=00रुपये है वर्ष 1999 से ही किराये पर वादियों को नहीं दिया गया। यहाँ से बताया गया कि उक्त समारा नायब तहसीलदार भरवाई की उक्त अवधि से वैधानिक अवधि तक बिना किराये के आवंटित किया गया जब कि अधिकारी को अपने निवास से अलग किराया भी नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है। उक्त अधिकारी का मन्दिर न्यास के कार्यों/लेखाओं से किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सम्बन्ध नहीं है। अतः मन्दिर न्यास के अधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त कक्ष को किराये की मनमानी दरों पर दी जाए व वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जाए व अनुपालना से लेखा को शीघ्र अवगत किया जाए। लाखों रुपये का किराया वसूली का मामला विशेष रूप से अनुपालना कार्यवाही हेतु मन्दिर न्यास के ध्यानार्थ लाया जाता है ताकि इस प्रकार की लेखाहीन त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो।

67. पानी भवन :- वर्ष 3/2002 में लेखा कामान मन्दिर न्यास के पानी भवन/भरवाड़ी को जारी किया गया परन्तु उक्त सामान को पानी भवन की स्टाक पंजिका में प्रविष्ट नहीं किया गया। उक्त सामान का सम्भावित दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतः उक्त सामान को स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया जाए व आगामी अंकेक्षण में लेखा को अवगत कराया जाए :-

उक्त का नाम	राशि
पम्प (10 वाट)	100 रुपये
-"- (20 वाट)	5 -"-
टयूब सेट	20 -"-
स्टाबलाइजर	25 -"-
टेक्स रोल	4 -"-
योग	54 -"-

...2

[illegible] पाली भवन के स्टाक रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि पाली भवन के उपयोग हेतु निम्न सामान क्रय किया गया था जिसे पाली भवन के स्टाक रजिस्टर पृष्ठ 131 से 143 में दर्ज किया गया परन्तु वर्ष पन्द्रहवीं तो मन्दिर अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित नहीं किया गया जिस कारण स्टाक रजिस्टर के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकती ।

मात्रा	सामान का विवरण
10/2000	गद्दे 60 नं०
	सरहाने 100 नं०
	रजाईयां 30 नं०
	[illegible] 1 नं०
	[illegible] सेट 6 नं०[illegible]
	[illegible] 1 सेट
	[illegible] 1 सेट
	[illegible] 6 नं०
	[illegible] 60 नं०
	[illegible] 2 नं०
	[illegible] 1 नं०
	[illegible] 246 नं०

[illegible] पाली भवन के स्टाक रजिस्टर के पृष्ठ 117 के अवलोकन से पाया गया कि दो कम्बल [illegible] क्रय किए गए । इन कम्बलों का पाली भवन कक्ष व एक कम्बल मन्दिर अधिकारी निवासगृह को दिए गए बताये गए । इन कम्बलों की सत्यता सुनिश्चित की जाए ।

[illegible] पाली भवन के स्टाक रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि एक कम्बल दीहट मन्दिर अधिकारी को बाटी दिया गया जिसे वापिस लिया जाए कम्बल दीहट से सेवक की बहुत सम्बन्धित से ली जाए ।

*****

(ख) मौजा भूम के स्टाक रजिस्टर के अनुसार एक कोयला वीटर नामक खरीददार भूमाफिया को दिया गया है जिसे वर्तमान अवधि का वाहिस नहीं किया गया अतः कोयला वीटर की सम्बन्धित अधिकारी से वाहिस लेने हेतु उचित कार्यवाही की जाय तथा उक्त अधिकारी जोकि राजस्व विभाग का कर्मचारी है उसे मन्दिर न्यास से कोयला जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

60. दैनिक मजदूरी पर रखे कर्मचारियों को अधिक भुगतान

निम्न प्रकरणों में वर्तमान अवधि के दौरान मजदूरों को दैनिक मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित रु. मजदूरी की दर 5।-00 रुपये प्रति दिन की दर से देने की जबकि क्रमशः 65-00 रुपये की दर से की गई जो निर्धारित दर से 14-00 रुपये अधिक थी। जोकि एक अनियमितता है। वर्णित विवरणानुसार अधिक मजदूरी के भुगतान के कारण मन्दिर न्यास को रु. 40,000-00 रुपये की हानि हुई। अतः अधिक मजदूरी दिये जाने का औचित्य कैसा है स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली मौके से की जाए व भविष्य में मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित दर से ही दी जाए।

.....2

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
918	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र॰	वा॰सं॰	माह	राशि रुपये
	1112	12/2001	[illegible]
	-"-	12/2001	4125.00
	253	6/2002	42484.00

वा॰सं॰ 1[illegible] व 1[illegible] का जब बी॰ए॰ सिस्टम एवं मैसर्स डिटेक्टर को कुल हेतु किया गया। उक्त कुल से पूर्व वित्तीय अधिकारियों को कुल नहीं किया गया। कोटेशनें दोनों ही मामलों में आमन्त्रित नहीं की गई और प्रचलित बाजार भाव का कोई भी लाभ नहीं उठाया गया। इसके अतिरिक्त क्रय के बारे में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नहीं किए गए हैं। वित्तीय अधिकारियों को कुल न करने का अधिनियम को स्पष्ट किया जाय।

वा॰सं॰	वस्तु का विवरण	मात्रा	दर	राशि	कर का नाम
1[illegible]	बी॰ए॰ [illegible] 20[illegible]	1	-	16[illegible]00.00	रजनीश [illegible]
	[illegible]	1	-	4[illegible]0.00	[illegible]
	[illegible]	32		1[illegible]200.00	वि॰ 29.11.0
	[illegible]	1		14[illegible]0.00	
	[illegible]	20		3[illegible]000.00	
	[illegible] 200 [illegible]			16[illegible]0.00	
	[illegible]			5000.00	
				[illegible]	
	[illegible]			[illegible]	
				340.00	
	[illegible]			360.00	
	[illegible]			900.00	
	[illegible]			[illegible]	
				4175.00	
1[illegible]	[illegible]			20000.00	[illegible]
				1400.00	[illegible]
				2[illegible]	[illegible]
1[illegible]	[illegible]			1[illegible]	
				27[illegible]	
	[illegible]			[illegible]	
				[illegible]	
				[illegible]	
				[illegible]	

71. जिस विक्रयकर्ता कार्टेलर सेट के प्रयोग हेतु टीजल एवम गैस बाजल की खरीद की गई परन्तु सम्बन्धित माल बुक बीजक में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः अंकेक्षित माल बुक को आगामी बीजक में प्रस्तुत किया जाए।

क्र.सं.	माल	राशि रु.	विवरण
2879	2/2001	1666.00 333.00	100 सी. टीजल 2 सी. गैस बाजल
186 (सी)	5/2001	1666.00	100 सी. टीजल
132	4/2001	1932.00	116 सी -"-
393	6/2001	1666.00	100 सी. -"-
561.	8/2001	3336.00	200 सी. -"-
		1666.00	100 सी. -"-
1088	11/2001	1700.00	100 सी. -"-
500	10/2002	2990.00	100सी. -"- 15 सी. मॉबाइल

72. जिस विक्रयकर्ता कन्सीनरेटर हेतु टीजल पर खर्च किया गया परन्तु उसकी माल बुक बीजक में प्रस्तुत नहीं की गई। सम्बन्धित अधिकारी से अनुरोध है कि उक्त माल बुक को आगामी बीजक में अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाया जाए।

क्र.सं.	माल	राशि रु.	विवरण
1(सी) 760	3/2001	1666.00	100 सी. टीजल
		6672.00	400 सी. -"-
		6672.00	400 -"-
		1666.00	100 -"-
		6672.00	400 -"-
		6672.00	400 -"-
		6672.00	400 -"-
1(सी) 979	9/2001	6000.00	400 -"-

73. क्र.सं. माल राशि रु.
438 8/2001 44664.00
17,664.00

कर्मचारी बाबत द्वारा कुल 44664.00रुपये का भुगतान मे. विश्वसनीय कॉन्ट्रेक्टिंग कम्पनी को उनके बिल सं. 158 दिनांक 22.7.01 द्वारा मेसर्स सी.सी.टी. एन्टरप्राइजेज को कुल करने हेतु किया गया जिसे एम.सी.टी.सं. 27 के द्वारा 10% आर.पी.टी.एस. पर दर्ज किया गया। बीजकों की जांच से पाया गया कि अन्तिम

में कैमरे वर्ष 2000 में भी क्रय किए गए थे। अतः इन कैमरों का क्रय का व्यय अवैध प्रतीत होता है। किसी खरीद का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः इसे का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए जिन मन्दिर अधिकारी द्वारा धारित नहीं किए गए हैं। अनियमित कार्यवाही की जाए।

सी.सी.एन.कलर कैमरा		रु.1 1250.00
डी.ए. मी.	वेतन	645.00
ए.ए. मी. अधिकारी का वेतन		5525.00
मोटर/ Sfair etc		500.00
		26475.00
	सी.सी.सी.	1859.00
	योग:-	28334.00
घटाकर बैंक ब्याज		11150.00
		44484.00
सी.सी.एन.कलर कैमरा		12749.00 [जिल पृ.150 दि.16.6.01]
		57484.00

74. वा.सं. माह राशि रु.

440 7/2001 12091.00

उपरोक्त वाउचर की राशि में बताया कि उक्त वाउचर द्वारा रु 12091.00रुपये का भुगतान किया गया जबकि वास्तव में कुल योग 55071.00रुपये की था। अतः यह रु 17010.00रुपये कोई अन्य वाउचर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा रु. 17010.00रुपये की वसूली सम्बन्धित से की जाए।

75. वा.सं. 231 माह 5/2001 राशि 97555.00रुपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा 97555.00रुपये का व्यय शहीद स्मारक की छत्ती हेतु किया गया परन्तु मूल बिल रोकड़ में प्रस्तुत नहीं किए गए जिस कारण यह व्यय तोजाये नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त बिल/वाउचर आगामी रोकड़ में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ।

.....

76. वा॰सं॰ 25वें मामले 9/2001 राशि 12000/-

प्रमाणित वाउचर द्वारा रु॰ 12000.00रुपये का भुगतान को जाम कृषाय वर्ष ऐक मं॰ 2002 द्वारा जमीन की खरीद हेतु किया गया परन्तु जमीन की खरीद की रजिस्ट्री बैलेंस में प्रस्तुत नहीं की गई। पुष्टि हेतु सम्बन्धित रजिस्ट्री आगामी बैलेंस में प्रस्तुत की जाय।

77. वा॰सं॰ 73वें मामले 11/2001 राशि 4300.00रुपये

प्रमाणित वाउचर द्वारा वर्क्सबुलिक टावर रायपुर में किसी अन्य पेमेन्ट में जोड़ने हेतु किया गया। जांच में पाया गया कि उक्त टावर रायपुर [illegible] के भावांतर का है जो किसी वह अन्य निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः व्यय का दायित्व स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुचित व्यय की प्रतिपूर्ति निधि में की जाय।

78. अन्दर ग्राम पिन्डकुणी के मेन डाल अवधि 1/2001 से 12/02 तक के अनिल नामों की जाय एवं रोकड़बही का मिलान करने से पाया गया कि प्रतिमाह ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त राशि को सम्बन्धित रजिस्टर में अंकित किया गया जिसे अनुबन्ध "ठ" में जोड़ा गया है, जिसकी सूची सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से कड़े अन्दर निधि में जुमा जमा से आय रखा अनुपालन करने बैलेंस परीक्षण तत्पश्चात अवगत जाए।

79. [illegible]रुपये का अनुचित भुगतान :-

वा॰सं॰ 139(बी) मामले 3/2002 रु॰ 46000.00रुपये का भुगतान [illegible] कम्पनी लि॰ [illegible] को किया गया। उक्त भुगतान मन्दिर [illegible] भवन में स्थापित लिफ्ट की वार्षिक मरम्मत का है। लिफ्ट बराबर बन्द की रहती है और उस पर वार्षिक रख-रखाव पर किए गए भुगतान का औचित्य बताया किया जाए अन्यथा अनुचित भुगतान की प्रतिपूर्ति से होना जाए।

80. लोक हेतु राशन की असामान्य क्रय/भुगतान पर प्रश्न :-

पाया जाता है कि 1/2001 से 12/2002 तक के लेखा के दौरान पाया गया कि राशन सामग्री की क्रय निम्न मासों में उनके सामने अंकित की विभिन्न सामग्री की सामान्य क्रय से अधिक आंकी गई है जिसका ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है, का औचित्य लेखा को स्पष्ट किया जाए अन्यथा असामान्य रूप से अधिक भुगतान किए राशन की वसूली करके और निधि में जमा बकाया कार्यवाही से मेरा पत्रांक विभाग को अवगत कराया जाए।

81. वा०सं० 1 मास 6/2001 राशि 4[illegible]
वा०सं० 187 मास 3/2002 राशि 47205=00

उपरांकित वाउचर द्वारा रु 4[illegible] का भुगतान श्रीमति आशा देवी पत्नी श्री गौरखू राम व रु 47205=00 रुपये का भुगतान श्री अवतार सिंह को किया गया परन्तु यह राशि किस उपलेख हेतु श्री गर्ग को उपलब्ध किस ने नहीं की। जिस कारण इस व्यय की अंकि नहीं की जा सकी। अंकित सूचना आगामी लेखों में उपलब्ध की जाए।

82. वा०सं० 531 मास 9/2002 राशि 80652=00 रु०

उपरांकित वाउचर द्वारा 80652=00 रुपये का भुगतान मै० पी०के० एण्टरप्राईज मार्केट जिला ऊना को करने बिल संख्या-दिनांक 31-8-2002 निम्न कार्य के भिश्यादान हेतु किया गया। अंकेक्षण को जांच में पाया कि यह कार्य मन्दिर विस्तार भवन में करवाया गया। पहले इस स्थान को खाली रखा गया था बाद बाद में जिला प्रशासन अधिकारी की सलाह एवं प्रशासनिक स्वीकृति उक्त कार्य को करवाया गया। जिसे साथ पुस्तिका 52 के पृष्ठ 86 पर दर्ज किया गया। भिश्यादान का कार्य को ठेकेदार आवंटित करके किया जाना था परन्तु अधिकारी गण द्वारा बिना ठेकेदार आवंटित कर ही मै०पी० के० एण्टरप्राईज मार्केट से ही करवा लिया गया। अतः ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादित न करवाने का औचित्य लेखा को दिया जाए। साथ ही उक्त अधिकारियों के ध्यान में वाजबद कार्यवाही हेतु लाया जाता है :-

क्र.सं.	मद का विवरण	मात्रा	दर	राशि रु.
1.	पी.वी.सी. [illegible] 100x4 (2x4 पि.वी.सी.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	पी.वी.सी. [illegible] [illegible]	17.00	600.00	10833.00
3.	पी.वी.सी. [illegible] [illegible]	12.00	465.00	5580.00
4.	पी.वी.सी. [illegible]	1 नं.	300.00	300.00
5.	पी.वी.सी. [illegible]	1 नं.	115.00	115.00
6.	पी.वी.सी. [illegible]	1 नं.	62.00	62.00
7.	पी.वी.सी. [illegible]	1 नं.	20.00	20.00
			योग:-	7580.00
			विभिन्न +	2062.00
				9642.00

23. कार्य का नाम :- [illegible] डी.टी.सी.-10-06 दिनांक 1.1.06
अधिष्ठापन का नाम :- मै. [illegible]

माह सूचिका 20 के पृष्ठ 60 द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु अधिष्ठापन से निम्न अतिरिक्त मद मदों के निर्माण कार्य भी करवाया गया था परन्तु उपरोक्त दर चिह्नित की गोचर में नहीं दिखाए गए। अतः सम्बन्धित अधिकारी से अनुरोध है कि वे निम्न अतिरिक्त मदों की दर सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाए व आगामी बिल पर अंकित करवाया जाए।

****

प्रतिरिक्त मदें

क्रमांक	मद विवरण	मात्रा	यूनिट	दर	राशी
1.	[illegible]	152.24	क्यूबिक मी.	315.90	48701-00
2.	[illegible]	24.[illegible]	प्रत्येक	2158	4316-00
				2374	11870-00
				2611	20888-00
				2872	25848-00
3.	[illegible]	40.87	वर्ग मी.	170.25	6958.10
4.	[illegible]	66.52	घ. मी.	306.[illegible]	20355-12
5.	[illegible]	08.[illegible]92	घ. मी.	1470.[illegible]	12483.24
6.	[illegible]	873.40	प्रत्येक	25.[illegible]	21825-00
7.	[illegible]	232.63	घ. मी.	[illegible].25	5642-00
8.	[illegible]	—	—	—	46296-00
9.	[illegible]	[illegible]	घ. मी.	143-[illegible]	6743.90
10.	[illegible]	—	—	—	13557-65
11.	[illegible]	19.00	प्रत्येक	316.[illegible]	6004-00
12.	[illegible]	72.47	घ. मी.	2200-[illegible]	159434-00
13.	[illegible]	[illegible]	घ. मी.	612-[illegible]	73030-00
14.	[illegible]	[illegible]	घ. मी.	134-[illegible]	31632-30
15.	[illegible]	31[illegible]	घ. मी.	248[illegible]	7630.72
16.	[illegible]	92.67	घ. मी.	317.[illegible]	29376-40

क्रम सं.	मद का विवरण	मात्रा	यूनिट	रेट	राशि
17.	[illegible] 40 एम.एम. थीक [illegible]	125.36	घ.मी.	2000-00	252720-00
18.	[illegible]	745.60	घ.मी.	85.00	63376-00
19.	[illegible]	115.00	घ.मी.	12.00	1380-00
20.	[illegible]	95.76	घ.मी.	32.50	3112.20
21.	[illegible]	347.45	घ.मी.	45.00	15267-00
22.	[illegible]	1970.01	घ.मी.	40.00	78800-00
23.	[illegible]	12.00	[illegible]	2000.00	24000-00
24.	[illegible]	[illegible]	घ.मी.	47.28	9230.44
25.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	54.00	[illegible]
26.	[illegible]	210.60	[illegible]	142.72	29979-76
27.	[illegible]	123.64	घ.मी.	24.95	3,08481-80
28.	[illegible]	5.04	घ.मी.	114.00	346[illegible]
29.	पी. एच. वाटर टैंक [illegible] प्लास्टिक	12500	घ.मी.	4.70	------
30.	पी. एच. एस. आई रोड 150 एम.एम. [illegible]	140.00	[illegible]	6.42	[illegible]
31.	[illegible]	19	[illegible]	252	
	[illegible]	63.50	[illegible]	154	

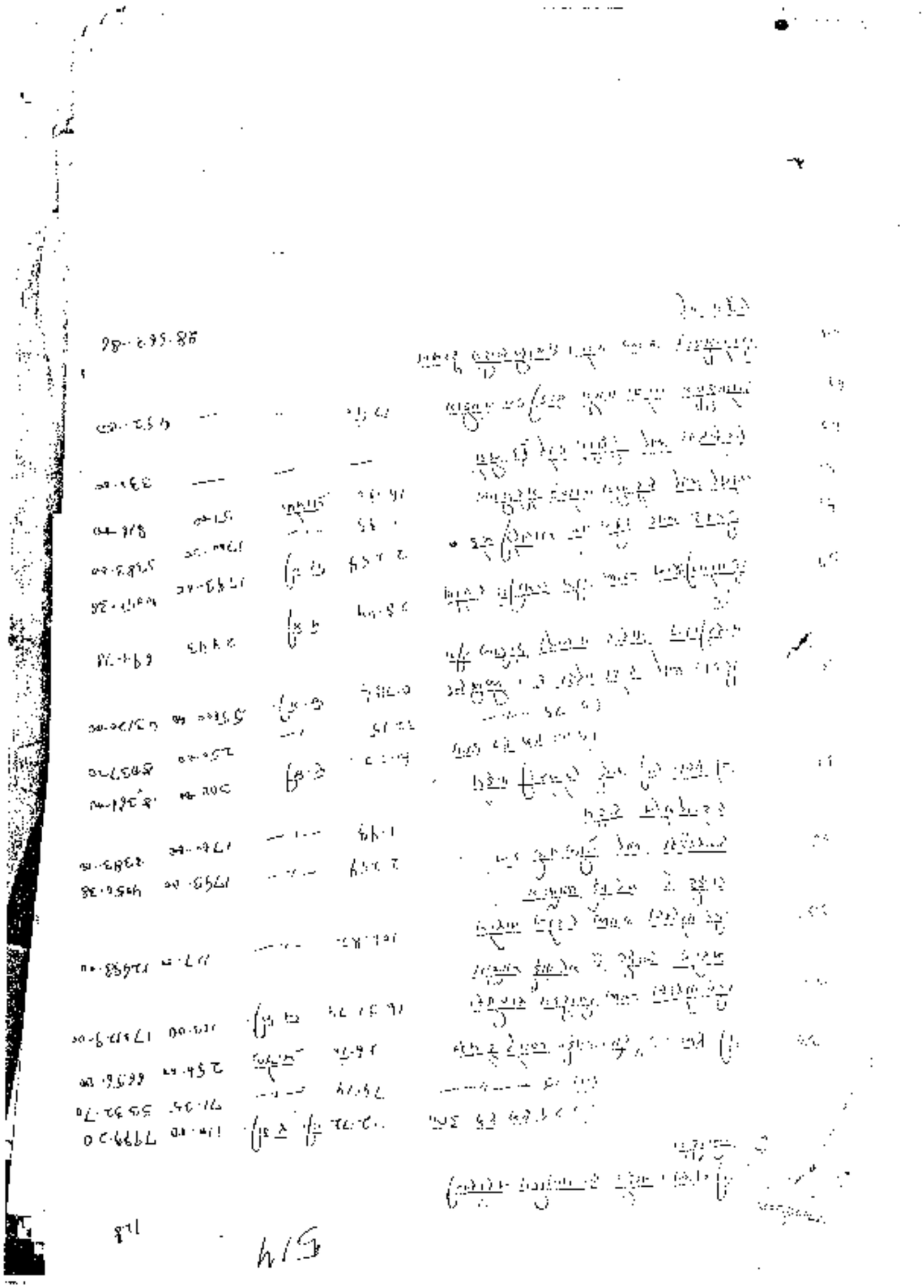

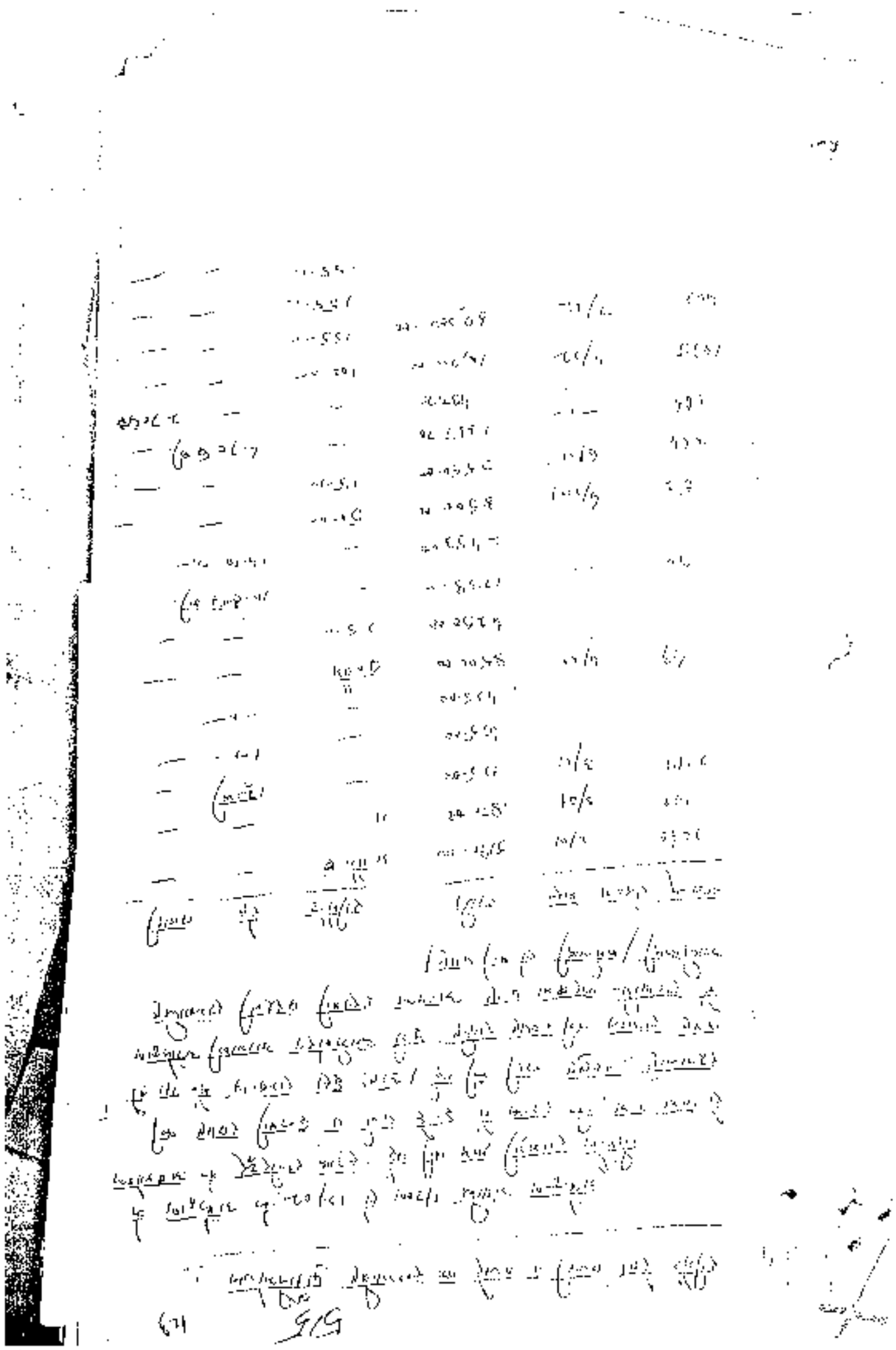

85- निम्नलिखित विवरणानुसार निर्माण कार्य मन्दिर न्यास द्वारा मस्टोल पर निष्पादित कराया गया। अभिलेख की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य समाप्त पूर्वतः के बाद उन कार्यों की छोटे-2 खण्डों में विभाजित कर विभागीय तौर पर कराया गया। जिसका पूर्ण औचित्य दिया जाय। साथ ही अभिलेख सम्बन्धित माप पुस्तिका की जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका को मन्दिर आयुक्त/मन्दिर अधिकारी द्वारा भी सत्यापित नहीं किया गया है। अभिलेख अपर्याप्त कर ली जाय।

क्र०सं०	माप	राशि जो मस्टोल द्वारा अदा की गई	माप पुस्तिका सं०	निर्माण कार्य का नाम
218	2/61	510-00	27 पृष्ठ 40	मुरम्मत कार्य हेतु।
146[बी]	5/61	3642-00	27 पृष्ठ 67	
139	5/61	14915-00	27 -"- 71	
2169	5/61	4026-00	27 -"- 41	दर्शनार्थ निर्माण कार्य हेतु
2170	-"-	2143-00	27 -"- 43	-"-
43	4/61	816-00	27 -"- 50	-"-
63	-"-	11379-00	27 -"- 61	-"-
64	-"-	7134-00	27 -"- 62-64	-"-
212	3/61	4006-00	27 -"- 39	-"-

86- निम्न पुस्तकों में माप पुस्तिका 32 पृष्ठ 86 तारीखवार एक भुगतान है जिसमें निर्माण कार्यवार नहीं। पुस्तिकाएं मन्दिर अभियन्ता/मन्दिर अधिकारी/मन्दिर आयुक्त द्वारा सत्यापित नहीं की गई। अतः अभिलेख कार्य का विवरण एवं भुगतान राशि की खुली बोली से करके अन्तिम निधि में जमा की जाय। अनुपालना से आगामी लेखा में अवगत कराया जाय।

वा.सं.	माह	मद का विवरण	दर	राशि	मूल पुस्तिका म. पृष्ठ
639	10/02	[1] सीमेंट मिक्चर पिलाया 6.6.02 से 30.6.02 तक 25 दिन 1.7.02 से 30.7.02 तक 30 दिन [कार्य दो²/05] 55 दिन	120/-	6600/-	माप पुस्तिका म. 32 पृ. 86
		[2] मजदूर कार्य करते हुए पौधे /005 [4.2.30 पौधे] 6.6.02 से 30.6.02 = 25 दिन 1.7.02 से 30.7.02 = 30 दिन 55 दिन	25 प्रति पौधे	3500/-	
		[3] मजदूर कार्य करते हुए पौधे निर्देशित दर /500 6.6.02 से 30.6.02 1.7.02 से 30.7.02 पौधे 4.2.32 पौधे 2.00 =		32 20.00	
			योग	10020.00	
639	10/02	पानी टैंक का पिलाया [1] 6.6.02, 10.6.02, 16.6.02, 23.6.02, 27.6.02 6 टैंक 500.00		3000/-	
		[2] 1.7.02, 2.7.02, 10.7.02, 14.7.02, 18.7.02, 23.7.02, 26.7.02, 28.7.02, 8 टैंक 500/-		4000	
			योग	7000/-	

टि॰ वाउचर संख्या 293 माह 6/2001 द्वारा 14062/- रुपये का भुगतान मै॰ एस॰के॰ एन्टरप्राइजेज सर्व ऊपर की एन्ट्री सिमेंट की रद्द करने हेतु किया गया। माप पुस्तिका में का कार्य के कोई भी रिकार्ड प्रविष्टि नहीं की गई व मस्टर रोल की स्वीकृति व कार्य कराने का पत्र भी अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं किया गया। नियमानुसार रिकार्ड प्रविष्टि के बिना किसी भी मद का भुगतान नहीं किया जा सकता। यह अनियमितता कार्य निर्माण एजेन्ट की माप व सत्यापित करने से संबंधित करते मस्टर रोल में जमा करवाया जाए तथा दोषी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करते अनुशासनात्मक कार्यवाही अंकेक्षण पर अमल करवाया जाए।

...

[illegible] अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किये गये।

सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर के अवलोकन से दौरान पाया गया कि जनरी स्टाक पंजिका में दर्ज किया गया वस्तु क्रमांक की सूचनाएं पंजिका में दुरुस्त नहीं की गई। जांच में पाया गया कि कुछ तो पूर्व वित्तीय वर्षों की पूर्ण नहीं दिखाया। अतः कुछ से पूर्व कोई कार्य अवशिष्ट न रहने का औचित्य स्पष्ट किया जाय व भविष्य में कुछ से पूर्व वित्तीय वर्षों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

क्र.सं.	माह	राशि रु.	वस्तु का नाम
151	4/2001	2100.00	टायल -30 नं.
43	4/2001	60.00	पेन्ट
		424.00	स्टेशनरी का सामान
		390.00	-"-
		300.00	-"-
		130.00	-"-
51	-"-	8800.00	10"x10" टायल 1400
		6900 -"-	-"- 1150
		3000 -"-	-"- 500
		5700 -"-	-"- 950
365	6/2001	438.00	1.5 पेन्ट
		438.00	1.5 -"-
179	5/02	21981.00	स्टेशनरी का सामान

80. (ख) कार्य का नाम : कार्यालय रोड अलवर पालिका में निम्नलुनी स्थल पर स्ट्रीट लाईट लगाये जाने।

अनुमत संख्या: टी.टी.नी.146/2002 दिनांक 7.10.2002

संविदाकार का नाम: श्री कन्हैयालाल बन्सल।

श्री कन्हैयालाल को उक्त कार्य के निष्पादन हेतु 11,26,470.00 रुपये का अनुमान विभाग द्वारा तैयार किया गया था परन्तु उक्त कार्य की तकनीकी अधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी। कार्य आवंटन से पूर्व विभाग द्वारा जो प्राक्कलन तैयार की गई उसके टेण्डर प्रक्रिया के दौरान पाया गया कि कुछ मदों के दर [illegible] अधिक बाजार भाव को आधार मानकर तैयार किए गए ताकि संविदाकार द्वारा दी गई दरों को ही उचित ठहराया जा सके ठेकेदार की अनुमानित लागत से 8.71% अधिक प्रीमियम पर दिया गया जो कि नियमानुसार अनुचित है। उक्त मदों के मूल्य पर रखें

....

यह प्रमाणित करता है कि त्रिमासीय मस्टोरोल तैयार करना व आय एवं व्ययाधिकृत की है। अतः अब पूरे प्रकरण की जांच सक्षम अधिकारी अधिकारी से अवगत वास्तविक स्थिति में कैशबुक को अग्रसर कराया जाए। मन्दिर द्वारा वास्तविक में दरों में कमी भी नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त की जांच में पाया गया कि इस कार्य को एक माह के भीतर किया जाना था परन्तु कार्य 25-10-02 को आरम्भ हुआ था व निर्धारित अवधि तक पूरा नहीं किया जा सका। कार्य अवधि में कोई बढ़ोतरी भी नहीं की गई। अतः कार्य के निरीक्षण हेतु अनुबन्ध में तय की गई दरों के अनुसार लगने की संस्तुति किया जाए।

मद का नाम	निर्धारित पर अधिकारी की संख्या		किस से निर्धारित मात्रा	दरों में सम्मत वृद्धि	राशि
1/3 [illegible]	40/-	36/-	5.04मी॰	2.00	1008.00
2/12 [illegible]					
15[illegible]	162/-	185/-	1160मी॰	23.00	26680.00
10[illegible]	139/-	150/-	0.76मी॰	21.00	1596.00
3/12 [illegible]					
16[illegible]	139.00	160.00	132मी॰	21.00	2772.00
10[illegible]	106.00	126.00	92मी॰	20.00	1840.00
				योग	34879.00

90. वा०सं० 1470 मास 3/2002 राशि 43977.00

अपरांकित वाउचर द्वारा मै० लाकिया विल्डर संविदाकार को रु० 43977.00 रुपये का भुगतान बतौर Secured अग्रिम के रूप में किया गया यह अग्रिम मार्बल लाने हेतु किया जिसे मास पुस्तिका सं० के पृ० 22 पर दर्ज किया गया। जबकि अधिनियम तथा Secured Advance की संविदाकार से वसूली नहीं की गई। अवैधिक वसूली की जाए।

91. मस्टोल पर अदायगी गए विभिन्न कार्यों में अनियमितायें :-

बाला विनायकी मन्दिर ब्लाक के अवधि 1/2001 से 12/2002 तक के अवमित भागों के व्यय का ऑडिट करने के दौरान यह पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न मस्टोलों पर अत्यधिक राशि के मूल्य के बराबर वास्तविक विभागीय कार्य निष्पादित किए गए है जबकि उनके लिए अभिलेखानुसार अनुमान/प्राक्कलन अधिमारी की स्वीकृति प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं की गई थी। मस्टोलों पर रखे गए मजदूरों का भुगतान की सत्यापना उक्त प्राधिकारी से नहीं करवाई गई थी।

वा०सं०	मास	राशि रुपये
143	3/2001	9750.00
2140	4/2001	9100.00
1382	2/2002	72600.00
1519	5/2002	21837.00
514	9/2002	7140.00
513	-"-	6160.00
547	-"-	33540.00
-"-	-"-	22460.00
635	10/2002	5460.00
636	10/2002	11460.00
623	-"-	14784.00
810	12/2002	9984.00
818	12/2002	35340.00
831	-"-	9960.00
		1140.00

*****

92. वा.सं. 863 माह 12/2002 द्वारा मस्टोल द्वारा कार्यपाल यू. पर कीचा लगाने के लिए निम्न विवरणानुसार राशि जमा की गई।

10 मजदूर 1.11.02 से 8.11.02 @ 60/-		10800.00
1 मिस्त्री 1.11.02 से 24.11.02 @ 60/-		1824.00
	योग :-	16824.00

नोट में पाया गया कि माप पुस्तिका 33 के पृ. 49-51 के अनुसार इस कार्य पर पूर्व में 18999.00रुपये की राशि जमा कराई थी और अब पुनः इस कार्य पर 16824.00 + 18999.00 = 35823.00रुपये की राशि जमा हुई। नियमानुसार यह कार्य ठेकेदार सम्बन्धित को निष्पादित करवाया जाना चाहिए था। ठेकेदार सम्बन्धित ने अपने का औचित्य कैसे नहीं किया जाय।

93. निर्माण कार्य का नाम : एस.आर.टू. रोड फ्रोम मियू कार्यपाल से राम्बू नाथ तेलिवाड़ा रिटेनिंग वाल्स एण्ड कैटिंग एण्ड टेरिंग

अनुबन्ध संख्या: टी.टी.सी./1373/2001 दिनांक 15.1.2001

ठेकेदार का नाम: श्री जिले कुमार बनिया।

लेखा संख्या 20 माह 4/2002 द्वारा मन्दिर स्थान जिला मुरमी के मध्य जिला संख्या 4 बनिया जिला 1 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया। जोकि अनुबन्ध में निर्धारित मात्रा से बहुत अधिक है जिससे निर्माण कार्य की कुल लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई। इन मात्राओं में हुई अधिक बढ़ोतरी का कारण औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही अतिरिक्त कार्य Deviation 1 को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई और न ही कार्य सम्पादित का प्रमाण पत्र अभिलेख में था। अतः अधिक कार्यों की जांच में लाई जाए। उक्त कार्य में निष्पादित की गई मात्राओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

.....2

19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	97-00	[illegible]
21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	[illegible]	3285-00	[illegible]	2925-94	7-00	[illegible]
23.	[illegible]	3285-00	[illegible]	[illegible]	97-00	58993-00
24.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77-00	[illegible]
25.	[illegible]	3960-00	9654-12	704-12	77-00	[illegible] 8130-00
26.	[illegible]	8140-00	9654-12	704-12	1271-00	9673-00
						1649159-78

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						732247 72

(ख) मद संख्या 13 पुलियाओं पर रेलिंग लगाना स्टील फर्म की निष्पादित मात्रा 7.90 घ.मी. दर 1307.00रु. कुल 11393.00 रु. का भुगतान संविदाकार को किया गया जबकि इस मद की विभागीय दर 1114.00रु. है व इस प्रकार 7.90 x 1114.00= 8802.00रु. ही बनते हैं। अतः 2591.00रु. का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली अपेक्षित है।

(ग) मद सं. 16 कन्टीनिरेंटिट वार्क सम्बन्ध विद रोड रोलर मशीन कुल अनुबंध विद 68 वार्क घोरी लोत निष्पादित मात्रा 3021.34 घ.मी. दर 207.00+ 1225.17=1432.00रु. का भुगतान संविदाकार को मार्च भुगतान 29 के पृष्ठ 86 द्वारा किया गया जबकि इस मद की विभागीय दर 174.00रु. है। अतः कुल 3021.34 x 174.00 = 1053274.00रु. अर्थात 192493.00 रु. का अधिक भुगतान संविदाकार को कराया गया जो कि अनुचित है। अतः भुगतान वसूली हेतु लाया जाता है।

(घ) अभिलेख की जांच से पाया गया कि संविदाकार ने अपने पत्र दिनांक 22.1.01 के विभागीयपत्र सं. 107 का रिबेट देने का वचन दिया है परन्तु ज्ञात द्वारा अभी रिबेट की वसूली नहीं की गई कुल व्यय की कुल लागत 28,60,854.00+10.107 = 2878.00रु. की वसूली का की जानी अपेक्षित है।

90. वाउचर संख्या 112 मास 4/2002 राशि 1,05,827.00रु.

फर्म का नाम : भारवाहक मात्रा से विन्तसूनी रोड की मार्ट।

संविदाकार का नाम: श्री दिल कुमार हाजा।

अनुबंध संख्या: टी.टी.सी.-1204-07/2001 दिनांक 7.12.2001

उपरोक्त निर्माण कार्य का भुगतान कु. 11783.00रु. के लिए तैयार किया गया था। अनुबंध की मद प्रतिवर्षिया कार्य सेवा टू मेजर कार्य सीमेंट पाइप ... की दर 1320.00रु. प्रति घ.मी. संविदाकार को दी गई जबकि इस मद की विभागीय दर 1114.00रु. घ.मी. थी। अतः 11,663.00रु. का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की मांग अपेक्षित है।

*****

95. गोन्दर ब्लाक के लेखाओं अवधि 1/2001 से 12/2002 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित रास्तों के निर्माण पर रु 1,69,719=00 रुपये का भुगतान किया गया। जो न तो पंचायत/निगमों के पूरकानों के अनुरूप थी और न ही गोन्दर के विकास से सम्बन्ध और सम्बन्ध था। भविष्य में अनियमित व्यय पर पुनिरीक्षण लगाया जाए।

माह	कार्य का विवरण	राशि रु०
10/2002	रास्ता वार्ड नं० 4 कुलदीप कुमार के घर से	35798=00
-"-	----"------ 5 मनोहर लाल -"-	41624=00
-"-	----"------ 2 मेन सड़क से कॉलोनी सड़क	31340=00
-"-	------"------ 3 सुविधाना बाग से रास्ता	62963=00
		योग:=169719=00

96. पंचायत संख्या 338 माह 8/2001, राशि 567930=00 रु०

उपरोक्त बाउचर द्वारा रु 567930=00 रुपये का भुगतान अधिशासी अभियन्ता पिछड़ा विकास विभाग को निम्न कार्यों की लागत हेतु डिमांडिंग पत्र के अनुसार किया गया:=

1. सर्वेक्षण एस्टीमेट पर कम्प्यूटर आफ पिछड़ा मंत्रालय विभाग पिछड़ा वर्ग के पुनर्वास सेवाओं एस पुनर्वास सेवाओं	64865=00
2. सर्वेक्षण एस्टीमेट पर कम्प्यूटर आफ पिछड़ा मंत्रालय विभाग पिछड़ा वर्ग के कार्यों एस जेरॉक्स बाबत परिवार जीपपोड	25963=00
3. सर्वेक्षण एस्टीमेट एस टेम्पल कम्पलेक्स के IT पार्क फ्लोर एवं एक्सटेंशन के पुनर्वास विभाग पिछड़ा वर्ग के टी०एम०सी० कॉलोनी ब्लाक पर प्रस्तावित	243215=00
	5,67,930=00

X और इस राशि को वि०प० के नि० विभाग रु० से अधिक किए जाने/किए जाने और बिल कार्यवाही एवं की जांच अंकेक्षण ने अंकेक्षण की पुष्टि करवाए जाने

अभिलेख की जांच में पाया गया कि क्रम संख्या 1 व 2 की किसी उत्पन्न विवाद के कारण निष्पादित नहीं करवाया गया X क्रम संख्या 3 के निष्पादन हेतु 2,43,215=00 रुपये की राशि अधिशासी अभियन्ता पि०प० नॉन निर्माण विभाग पि०प० वर्ग को गई थी परन्तु उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य निष्पादन का प्रमाणपत्र कैशबुक को उपलब्ध नहीं करवाया गया। उक्त यदि कार्य अभी तक निष्पादित न नहीं हुई तो कार्य के निष्पादन हेतु सम्बन्धित विभाग से करवाने की व्यवस्था की जाए। अनुपालना बाबत्री कैशबुक में पाई जाए।

97. कार्य का नाम : टीटगढ़ ओन एक ओफ एकसटेंशन आफ टेम्पल कम्पौंड पिरनमुणी ।

संविदाकार का नाम : श्री रविन्द्र पंडा एण्ड एसोसिएट ।

उपरोक्त निर्माण कार्य पर किए गए व्यय की जांच में निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

(1) उपरोक्त निर्माण कार्य संविदाकार मै० राज कन्स्ट्रक्शन द्वारा भवन के स्तंभ निर्माण में किया गया था त्रुटिपूर्ण होने के कारण उपरोक्त कार्य बाद में संविदाकार श्री रविन्दर पंडा को आवंटित करना पड़ा जिस कारण दोबारा रु० 12,500=00 रुपये की राशि पुनः खर्च करनी पड़ी यदि यह कार्य सम्बन्धित संविदाकार द्वारा ठीक से किया होता अथवा कार्य का निरीक्षण उचित ढंग से किया गया होता तो यह राशि व्यय न करनी पड़ती । यदि संविदाकार द्वारा स्तंभ का कार्य वास्तविकता में ही निम्न स्तर का किया गया था तो इस सम्बन्ध में रुपयों की छानबीन उपरान्त कार्य निर्माण के दौरान ही आवश्यक कार्य उपरान्त या तो संविदाकार स्तंभ से सम्बन्धित कार्य की लागत का भुगतान नहीं किया जाना था अथवा त्रुटिपूर्ण निष्पादन कार्य आवश्यक सुधार करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु रुपयों की छानबीन किए बिना ही अथवा कोई उत्तरदायित्व निर्धारित करने के बजाए त्रुटिपूर्ण किए गए कार्य को दोबारा से दूसरे संविदाकार को आवंटित करके मन्दिर निधि को आवश्यक रूप से वित्तीय क्षति पहुंचाया गया । अतः इस सम्बन्ध में मामला प्रशासनिकारियों की इस जानकारी के साथ कि यदि सुधार व आवश्यक रूप से कार्य कराने उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्य की पूर्ति सीमित की जाए ।

(2) निर्माण कार्य के निर्माण से सम्बन्धित अनुमान भी तैयार नहीं किए गए तथा यह कार्य निविदाएं आमंत्रित करके संविदाकार को आवंटित कर दिया गया । निर्माणकार्य के आरम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्य योजनाओं का आयोजन करके यदि अनुमानित लागत 20000/- रुपये से अधिक होती तो यह कार्य ठेके निविदाएं करके आवंटित किया जाना अपेक्षित था । उक्त कार्य प्रतीत होता है कि इस कार्य को आवंटित करने से पूर्व नियमों की अनुपालना नहीं की व यह कार्य सम्बन्धित संविदाकार को सम्पूर्ण रूपेण से वित्तीय लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है । उक्त नियमों की अनुपालना नहीं

किए जाने के कारणों की आड़ लेते दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी वांछित है।

98. **अनुचित भुगतान :-** मेसर्स विद्युतीय कार्य विद्युत कार्य अधिष्ठान खण्ड वाराणसी की मैसर्स ... ... मार्च सूचिका 29 के पृष्ठ 88 के अनुसार डेम्पर मशीन की मात्रा 4.217.2 = 32.49 घ.मी. बताया गया है जबकि वास्तव में 30.24 घ.मी. है। इस प्रकार 2.18 घ.मी. अधिक मात्रा 3715.60 प्रति घ.मी. की दर से 8130.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया जिसकी वसूली वांछित है।

99. निर्माण कार्य का नाम : वार्षिक रोड अवार्ड पार्टियों से विस्तृत [illegible] मैटीरियल व टायरिंग आदि

ठेकेदार का नाम : श्री राम राय।

अनुबन्ध सं० टी०टी०सी० 1184/2002 दिनांक 7.12.01

उपरोक्त निर्माण कार्य का आवंटन परिपत्रक निविदादे [illegible] वाराणसियम पर किया गया। श्री गोस्वामी की दो स्थानों की ओर प्रदान के पत्र टी०टी०सी०/1184/2002 दिनांक 7.12.01 द्वारा आवंटित किया गया। इस कार्य की 5 मास में भीतर करने की शर्त रखी गई [illegible] कार्य के निर्माण अनुमान में निम्न गम्भीर अनियमितताएँ पाई गई जिस सम्बन्ध में निम्न टिप्पणियाँ वांछित है :-

1. लोक निर्माण विभाग के 17½ % निर्माणीय धनराशि के सम्बन्ध में आधार लिए बिना ही सरकारी प्रतिशत 700 से कार्य में लगवाया। प्राक्कलन की कुशल मूल्यन वास्तुकार की विशेष में निर्माण कार्य कराने का [illegible] अधिक व्यय किया जाय।

2. उपरोक्त वास्तुकार द्वारा उक्त हेतु राशि 2326376.00 रुपये का विस्तृत अनुमान तैयार किया गया जबकि कार्य की लेबर राशि 176442.21 रुपये की दर से प्रचार उपरोक्त कार्य 23.96% का योगदान पर अधिरोपित हुआ।

*****

विभाग द्वारा तैयार की गई जस्टीफिकेशन बोकल में दर्शाया गया कि कुछ मदों की दर अधिक बाजार भाव दर को आधार मानकर तैयार की गई थी जबकि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई दरों को उचित ठहराया जा सके उनका तथ्यों से दृष्टिगत कोई प्रतीत होता है कि विभागीय जस्टीफिकेशन बोकल ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दरों को उचित ठहराने हेतु ही तैयार की गई थी जिसकी [illegible] तकनीकी अधिकारी ने कुछ कार्यालय जलाने के उपरान्त जांच रिपोर्ट बोकल को उपलब्ध करवाई और जांच दरों की अधिकारियों की मुहताज को जा सके।

उक्त विवरण से मुद्दे संलग्न जिस नाम पुस्तिका 38 के पृष्ठ पृष्ठ 51 से 60 में दर्ज यह संलग्न है।

[illegible] एक एकमात्र [illegible] दर्शाया ठेका कोट जिस विभाग Primer at the rate of 10 कि०ग्रा०/10 वर्ग मी० Sma Primer Liquid विभागीय दर 133/10 रुपये की जबकि ठेके की दर 150.00 रुपये की जो कुल 16.00% अधिक का भुगतान किया गया। बोलिदाता का बिल रु 6470.44 वर्ग मी० मात्रा निष्पादित होने बाद 6470.44 × 16.00 = 1035.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया। 2 cm एमलसिफाइड जिस विभाग कोर्स पुरानिक नारंगी [illegible] जिस 0.27 cm बाक स्टोन चिप्स 12 mm to 18 cm पास 10 mm [illegible] 0.09 cm [illegible] जिस 18.00 कि०ग्रा० बाक [illegible] 10 gal बाक रोड [illegible] रोड [illegible] मूल्य राशि विभाग 60/900 प्रति स्क्वेयर [illegible] 6470.44 × 30.00 रुपये की जबकि बोलिदाता को 30.00 की दर भुगतान किया गया जो कुल 6470.44 × 30.00 = 201160.80 रुपये किया जबकि [illegible] 10% विभागीय दर 6470.44 × 25.00 = 161761.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली जिस से कुल [illegible] वसूली योग्य है।

1990 गाड़ी संख्या एच॰पी॰2904(2020)(पूर्वी) की माह जून के दौरान विभिन्न पूर्वानों में गाड़ी का पूर्वांग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः इस मामले की विभागीय स्तर पर जांच करके कार्यवाही से अवगत करवाया जाए।

दिनांक	स्थान	दूरी	विवरण/टिप्पणी
18-1-01	चिन्तपूर्णी से दिल्ली जंक्शन	489	
19-1-01	दिल्ली जंक्शन	160	
20-1-01	दिल्ली से चिन्तपूर्णी	489	
2-2-01	चिन्तपूर्णी से ऊना व वापसी।	109	
3-2-01	ऊना से बुधियाना	210	
5-2-01	बुधियाना से ऊना	255	
13-2-01	चिन्तपूर्णी, [illegible] पालमपुर	276	
19-2-01	चिन्तपूर्णी से दिल्ली	489	
26-2-01	दिल्ली से चिन्तपूर्णी	489	
25-3-01	चिन्तपूर्णी से दिल्ली	488	
26-3-01	दिल्ली से चिन्तपूर्णी	460	
18-4-01	चिन्तपूर्णी से शिमला	285	
20-4-01	शिमला [illegible]	198	
21-4-01	शिमला से चिन्तपूर्णी	290	
19-5-01	चिन्तपूर्णी	572	
17-6-01	चिन्तपूर्णी से शिमला	285	
18-6-01	[illegible] शिमला	72	
17-6-01	शिमला से चिन्तपूर्णी	290	
17-7-01	चिन्तपूर्णी से [illegible]	404	
29-7-01	चिन्तपूर्णी से [illegible]	228	
8-10-01	चिन्तपूर्णी से पठानकोट	185	
21-10-01	[illegible]	7	
21-10-01	[illegible]	28	
22-10-01	चिन्तपूर्णी से [illegible]	7	
23-10-01	चिन्तपूर्णी से [illegible]	42	
30-10-01	चिन्तपूर्णी से दिल्ली	511	
31-10-01	दिल्ली से चिन्तपूर्णी	539	
17-8-02	चिन्तपूर्णी से [illegible]	204	
11-12-02	चिन्तपूर्णी से शिमला	257	
12-12-02	[illegible] शिमला	94	
13-12-02	शिमला से चिन्तपूर्णी	290	

...

101. **गाड़ियों की निलामी में अनियमितता :-**

अभिलेख न्यायालय द्वारा दिनांक 0-4-2002 को निम्न गाड़ियों की निलामी की गई जांच में पाया गया कि अनुमोदित दरों के मामले में सी.एम.टाकुर, जमीनदार बाग, श्री पंकज कुमार (पूर्व अधिवक्ता निगम विधि), अभियंता मैसर्स, डी.ए.पी.जैन, व अन्य अधिकारी की मिलीभगत से की गई। अधिकांश में एम.वी. आर्म की रिपोर्ट नहीं थी वैसे यह निष्कर्ष था कि सभी गाड़ी की सम्पत्तिकरण तय थी है अधिक मूल्यांकन नहीं होता है जिसे सरकारी निकायों को हानि की गई है। अतः मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

गाड़ी संख्या	मूलतः मूल्य	वास्तविक मूल्य	निलामी मूल्य
1. एम.पी.-09-[illegible]	[illegible]/-	60,000	64,500
2. एम.पी.-19-[illegible]	[illegible]/-	30,000	85,075
3. एम.पी.-20-[illegible]	------	25,000	75,100

102. **गाड़ियों की अनियमित खरीद :** अंकेक्षण अवधि के दौरान माह 12/2002 में अभिलेख न्यायालय द्वारा एक जिप्सी गाड़ी की क्रय करने हेतु रु. 3,17,201.00 + 900.00 सेल्स टैक्स व एक पुरानी जीप वाहन [illegible] के लिए रु. 4,52,050.00 + 900.00 सेल्स टैक्स का भुगतान किया गया। अभिलेख न्यायालय के पास पहले से ही तीन गाड़ियाँ उपलब्ध थी और इन गाड़ियों की क्रय करने का औचित्य लेखा में नहीं दिया गया। सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार गाड़ियों की खरीद पर नियंत्रण के कारण प्रतिबंध है। इन्हीं गाड़ियों सरकार की पूर्व स्वीकृति अथवा के लिये न्यायालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः न्यायालय द्वारा सरकारी नियमों की अवहेलना की जाती है। इसके अतिरिक्त दोनों ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अभिलेख न्यायालय द्वारा न करके अन्य अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गाड़ियों का अंकेक्षण अभिलेख में लाया नहीं गया है। अतः यह अनियमित प्रतीत होती है। मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है

103. मन्दिर न्यास के अभिलेख से पाया गया कि न्यास कूड़ा फेंकने का जमीन का किराया 1000=00रुपये भुगतान किया जा रहा है जबकि कि न्यास द्वारा कूड़ा कचरा उठाने हेतु एक इलेक्ट्रिक वाहन क्रय किया गया था जिस पर लागत 13 लाख रुपये व्यय किए गए। इस सम्बन्ध में निम्न टिप्पणियाँ की जाती हैं :-

(क) ऐसा प्रतीत होता है कि जब कूड़ा कचरा फेंकने के लिए जमीन किराये पर ली गई है तो वाहन क्रय किए गए इलेक्ट्रिक का उपयोग से पाया गया प्रतीत नहीं होता है। अतः इस पर किया गया व्यय अनियमित एवम् औचित्यहीन प्रतीत होता है। अतः इस क्रय पर किए गए व्यय की जाँच उपरांत संबंधित अधिकारी कर्मचारी निर्धारित किया जाय।

(ख) उपरोक्त किराये पर 1000=00रुपये मासिक किराये पर ली गई जमीन के सम्बन्ध में क्या मानचित्र बनाया गया है, से अवगत नहीं कराया गया है। अतः उपरोक्त किराये के भुगतान के सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाय और यदि यह जमीन वास्तव में तो उस भूमि के अधिग्रहण करने मांगना सरकार से बताया जाय।

104. वाउचर 576 माह 10/2011 द्वारा 2012=00रुपये का व्यय गाड़ी नं0-यू0पी0-32-0038 की मरम्मत हेतु किया गया। वर्ष में बताया गया कि इसका दुर्घटनाग्रस्त होने पर बस कर्ज लगाया गया। कारण पाया द्वारा न तो इसका ही कोई जवाब गया और न ही कोई कार्यवाही की गई प्रतीत होती। अतः वास्तविक स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाय।

105. अभिलेख प्रस्तुत न करना :- मन्दिर न्यास चिन्तामणी के बैठक तथा के कार्यालय मानों में जिस जमीन भूमि का न्यास द्वारा उपयोग किया गया की बैठक में पुष्टि नहीं किया गया जिस कारण उस जमीन में पुनः क्रय की जाँच नहीं की जा सकी मन्दिर अधिकारी से अनुरोध है कि जिस जमीन जमीन भूमि की अभिलेख से पुष्टि कर आगामी बैठक में पुष्टि करना सुनिश्चित किया जाय। बैठकवार से बैठक में अवगत कराया जाय।

....

माह	चालान सं०
4/92	2564/1 से 2564/199
10/2001	2707/000079 से 2707/000819

10A) **[illegible] राशि :-**

मन्त्रिमंडल उपसमिति ने बैठक के दौरान देखा गया कि प्रत्येक माह के अंत में अत्यधिक राशियाँ एकत्रित रही या रही थी। इस अनियमित प्रक्रिया पर रोक हेतु उचित कदम उठाए जाए अन्यथा प्रतिदिन जमा माह में ध्यान में राशि प्राप्त होती है। अतः भविष्य में दिन प्रतिदिन आय के रूप में प्राप्त राशियों को शीघ्र बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। एकत्रित रही कुछ राशियों के निम्न उदाहरण हैं:-

माह	राशि रुपये
1/2001	378749=00
2/01	568210=00
3/01	461240=00
4/01	434438=00
5/01	3324 26=00
6/01	20488=00
7/01	1257691=00
8/01	492273=00
9/01	300006=00
10/01	40[illegible]76=00
11/01	430[illegible]11=00
12/01	499824=00
1/2002	26292=00
2/02	404988=00
3/02	322802=00
4/02	62[illegible]3=00
5/02	17097=00
6/02	1012861=00
7/02	8[illegible]488=00
8/02	1251994=00
9/02	821623=00
10/02	677341=00
11/02	785489=00
12/02	8[illegible]=00

******

523

107. **[illegible]** :- [illegible] प्रचार की दृष्टि से विभागीय अथवा से बाहर नहीं की गई [illegible] [illegible] का विवरण रखा गया भी कर लिया जाए।

108. **[illegible]** :- सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है।

भवदीय,
संयुक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009।

4442-44

पृष्ठांकन संख्या: [illegible] दिनांक, शिमला
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

19 SEP 2003

1. [illegible] अधिकारी, नगर पंचायत [illegible], [illegible] जिला [illegible] [illegible] को उक्त आदेश के [illegible] प्रेषित की जाती है कि उक्त [illegible] पर की गई कार्यवाही का [illegible] उत्तर इस विभाग को [illegible] भेजें।
2. [illegible], जिला [illegible]।
3. [illegible], [illegible] सरकार, शिमला-9

संयुक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009।

5 34

B.R.S as on 31-12-2002

Balance as Per Pass Book as on 31-12-2002 :-

S/No.	Name of Bank	A/C No.	Amount	
(a)	K.C.C. Bank Chintpurni	2206	2,122-30	
(b)	S.B.I. Chintpurni	10480	22,21,255-00	
(c)	S.B.I. Chintpurni	37002	3,50,483-36	
(d)	S.B.I. Chintpurni	9545	29,95,521-00	
(e)	Post Office Chintpurni	276613	342-25	
(f)	S.B.I. Chintpurni	10828	5,[illegible]-00	
(g)	P.N.B. Bhawain	5266	37,44,007-00	
	Total	–		93,[illegible],357-91

Add:-

Cheque received but not credited upto 31-12-2002 :-

S/No	Cheque No.	Date	Amount	
(1)	232706	31.12.2002	51,000-00	
(2)	Bank Draft refunded for Rs. 35,811-00 but not credited up to 31.12.2002		35,811-00	2,5,811-00
				94,01,168-91

Less:-

1. Cheque issued but not Presented for payment upto 31.12.2002:-

S/No.	Cheque No.	Date	Amount	Encashed Date
(a)	938800	16.11.02	5,000-00	13.01.03
(b)	244359	01.12.02	17,500-00	10.01.03
(c)	244331	01.12.02	10,000-00	16.01.03
(d)	244358	13.12.02	5,875-00	-
(e)	244359	13.12.02	35,000-00	09.01.03
(f)	244355	20.12.02	385-00	--
(g)	244369	27.12.02	14,360-00	10.01.03
(h)	244371	27.12.02	5,805-00	16.01.03
(i)	244372	27.12.02	750-00	07.01.03
				63,875-00

2. Inst. of A/C No. 2206 of KCCB Chintpurni not A/C for in cash book — 42-30

3. Difference in the total of bank pass book — 4-00

Balance as per cash book — [illegible]

5235

F.D.R. as on 31-12-2002

S/N	Name of Bank / No. of FDRs	Amount of FDRs	Period	Cost on FDRs	Amount of Maturity	Date of Maturity
1.	S.B.I. Chirlpurni No. 111932	1,06,53,948-00	3 Year	28,57,825-00	1,35,11,773-00	06.05.02
2.	S.B.I. Chirlpurni No. 765072	50,00,000-00	3 Year	11,57,195-00	61,57,195-00	15.1[illegible].05
3.	S.B.I. Chirlpurni No. 764487	60,03,463-00	3 Year	16,10,375-00	76,13,838-00	17.07.05
4.	S.B.I. Chirlpurni No. 765220	1,08,24,330-00	3 Year	23,09,988-00	1,31,34,318-00	07.12.03
5.	S.B.I. Chirlpurni No. 764021	1,08,77,470-00	3 Year	29,17,783-00	1,37,95,253-00	15.06.05
6.	S.B.I. Chirlpurni No. 180895	45,48,083-00	3 Year	13,05,286-00	58,53,369-00	19.03.05
7.	KCCB, Bhurwain No. 82015	41,58,703-00	3 Year	3,09,805-00	44,68,508-00	03.10.03
8.	KCCB, Chirlpurni No. 80694	43,65,540-00	3 Year	14,22,909-00	1,04,85,349-00	19.04.05
9.	KCCB, Chirlpurni No. 80811	23,99,017-00	3 Year	6,85,317-00	30,87,234-00	07.05.05
10.	KCCB, Chirlpurni No. 471927	49,22,069-00	3 Year	17,95,056-00	67,17,045-00	15.02.05
11.	KCCB, Kasyr Kotla No. 343542	23,54,938-00	3 Year	5,24,273-00	27,79,271-00	17.10.03
12.	PNB, Midgaipur No. 826473	13,02,224-00	3 Year	2,89,605-00	15,91,829-00	06.[illegible].05
13.	PNB, Bhurwain No. 542528	50,00,000-00	3 Year	13,47,209-00	63,47,209-00	15.06.05
14.	S.B.P., Una No. 910789	38,04,286-00	3 Year	10,20,469-00	48,24,755-00	16.05.05
15.	S.B.P. Una No. 674853	22,02,040-00	3 Year	4,69,931-00	26,71,952-00	09.[illegible].05
16.	S.B.P. Una No. 679452	7,20,789-00	3 Year	1,53,827-00	8,74,616-00	29.12.05
17.	KCCB, Muhammadpur No. 1530791	17,68,650-00	3 Year	1,28,227-00	18,96,877-00	26.10.03
	Total:-	9,68,05,493-/				

15 36

Statement of Silver & Gold as on 31-12-2002
Temple Trust Chatpurni Distt. Una H.P

GOLD

Q.	K.G.	Gram	M.Gram
	79	77	810

Silver

Q	K.G.	Gram	M.Gram
25	07	649	177

Trustee
Chairman

539

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

अनुबंध 4

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]

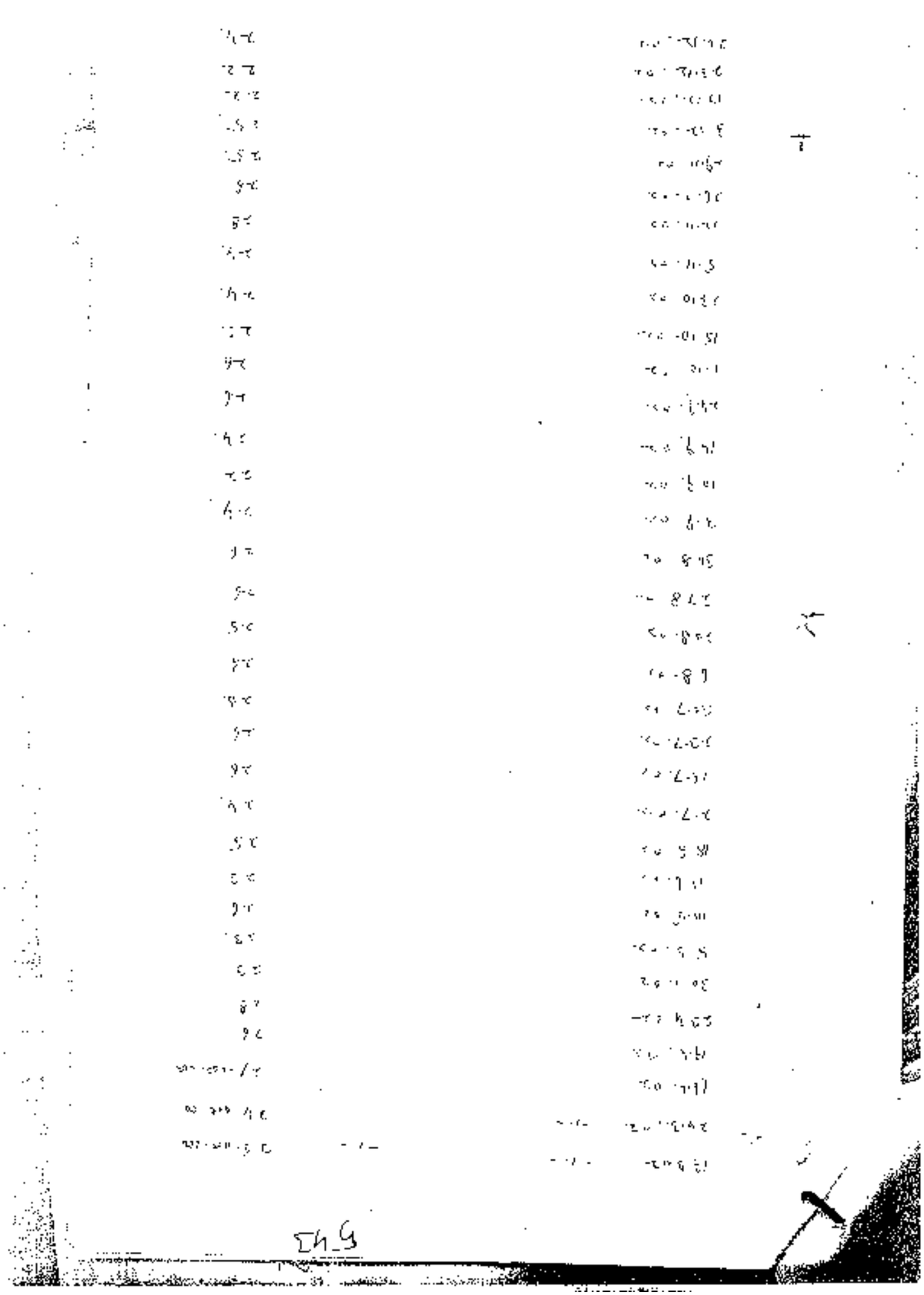

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]	

bn 9

553